उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या 184 /VII-2-15/146–एम0एस0एम0ई0/2013
देहरादूनः दिनांक 31 जनवरी, 2015

## कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण राज्य के समेकित विकास हेतु औद्योगिक गतिविधियों को और आकर्षक बनाते हुये बढ़ावा देने तथा वर्षवार रोजगार सृजन के लिये सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति (70 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र तथा 30 प्रतिशत मैदानी क्षेत्र) लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

## उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, 2015

1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भः
(क) यह नीति उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति (70 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र तथा 30 प्रतिशत मैदानी क्षेत्र), 2015 कहलायेगी।
(ख) यह नीति आदेश जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. प्रस्तावनाः

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र किसी भी राज्य तथा सम्पूर्ण देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र उद्यमिता की नर्सरी है, जो प्रायः व्यक्तिगत रचनात्मकता और सृजनशीलता से प्रेरित रहती है। इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की सहभागिता है, जिसमें से 45 प्रतिशत विनिर्माणक उत्पाद का एवं 40 प्रतिशत इसके निर्यात का है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 2,60,00,000 उद्यम 6 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इस क्षेत्र में लगी पूंजी के अनुपात में सृजित रोजगार तथा इसका विस्तार वृहद उद्यमों की तुलना में काफी अधिक है। इस क्षेत्र के उद्यमों का भौगोलिक वितरण और विस्तार भी अधिक है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थानीय संसाधनों एवं कौशल का उपयोग कर कम पूंजी से शुरू किये जा सकते हैं, इसलिये समावेशी विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

उत्तराखण्ड राज्य के सुदूर एवं पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों के सृजन तथा क्षेत्र के समन्वित एवं समावेशी विकास के लिये वर्ष 2008 में "विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008" प्रख्यापित की गई है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े व सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर उद्यमिता को अभिप्रेरित करते हुये उद्योग स्थापना को बढ़ावा देना था, ताकि रोजगार के अवसरों के सृजन के साथ–साथ पर्वतीय क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन दूर कर जनशक्ति के पलायन को रोका जाना सम्भव हो सके। इस नीति में वर्ष 2011 में कतिपय संशोधन भी किये गये हैं।

अब राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में **"सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति"** लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस नीति में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिये पूर्व से स्वीकृत नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं को और भी अधिक आकर्षक बनाया गया है।

यह नीति 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी। एमएसएमई नीति के प्रभावी होने/अधिसूचना जारी होने की तिथि से पात्र औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

## 2.1 आमुख (Preamble):

- उत्तराखण्ड सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम; खादी एवं ग्रामोद्योग; हथकरघा–हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्द्धन एवं विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता है और विभागीय प्रोत्साहन पैकेज, संस्थागत सहयोग तथा निवेश एवं विकास के लिये निवेशोन्मुखी वातावरण सृजित कर दीर्घकालिक एवं समान विकास चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण राज्य में किया जायेगा।
- इस क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न सम्भाव्य स्थलों पर औद्योगिक अवस्थापना विकसित करने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। पूरे प्रदेश में 100 औद्योगिक स्थलों का विकास किया जायेगा, जिनमें 70 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों में होंगे।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्द्धन हेतु स्थानीय उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन एवं कौशल का समुचित दोहन कर भारत सरकार द्वारा संचालित सम्बन्धित योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने(dovetailing) पर भी जोर दिया जायेगा।
- आगामी 5 वर्षो में इस क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं विपणन में सुविधा हेतु प्रभावी उपाय किये जायेंगे।
- राज्य सरकार सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य के लिये व्यापक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति शुरू कर रही है, जो तत्सम्बन्धी अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी। यह नीति 10 वर्ष की अवधि के लिये प्रवर्त रहेगी। कोई भी इकाई, जो योजना अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करेगी, वह इस नीति में प्रदत्त सभी लाभों के लिये पात्र होगी।

## 2.2 दृष्टि (Vision):

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में एक स्थायी और न्यायसंगत व्यवस्था बनाने के लिये स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर इस क्षेत्र का विस्तार करते हुये उत्तराखण्ड के विकास को समावेशी और रोजगारोन्मुखी बनाना है।

## 2.3 लक्ष्य (Mission):

राज्य सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एवं सरकार द्वारा सहायतित एवं सृजित व्यवसायिक वातावरण व सृजनात्मक दृष्टिकोण से राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का विकास होगा। प्रस्तावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति द्वारा ऊर्जा दक्षता, उन्नत तकनीक के साथ–साथ कौशल विकास के लिये प्रोत्साहन (Incentives) से औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी। राज्य का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र गुणवत्ता व लागत के उच्च मानक प्राप्त कर सकेगा। क्लस्टर विकास व क्षेत्रीय सृजनशीलता को प्रोत्साहित कर अतिरिक्त वित्त के प्रवाह एवं अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों से इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो सकेगा।

इस प्रकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उत्पादन में 14–15 प्रतिशत की वृद्धि दर अर्जित की जा सकेगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र आगामी 5 वर्षों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 3 लाख अतिरिक्त रोजगार का सृजन उत्तराखण्ड राज्य में कर सकेगा।

## 2.4 उपयुक्त औद्योगिक वातावरण का सृजनः

राज्य सरकार का नीति के माध्यम से निम्न प्रयास होगाः–

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए उपयुक्त औद्योगिक वातावरण का सृजन।
2. बैंकों, संबंधित विभागों एवं वित्तीय संस्थानों से समन्वय स्थापित कर राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में समुचित वित्त प्रवाह (Fund Flow) सुनिश्चित करना।
3. ब्लाक एवं ग्राम स्तर तक सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने पर सर्वाधिक बल दिया जाना।
4. एक वर्ष तक सघन अभिप्रेरण अभियान चलाकर अन्य सम्भावित उद्यमों का चिन्हीकरण करना।
5. राज्य के व्यवसायिक नियामक वातावरण का सरलीकरण करना।
6. वेब आधारित (Web Enabled) एकल आवेदन व्यवस्था बनाना एवं मामलों का समयबद्ध निस्तारण करना।
7. प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से मानव संसाधन की गुणवत्ता का विकास करना।
8. छोटी इकाईयों के सहयोग के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों के माध्यम से सेवायें एवं सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये कलस्टर एप्रोच को बढ़ावा देना।
9. स्वयं सहायता समूह एवं सहकारिता को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में बढ़ावा तथा ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प जैसे परम्परागत क्षेत्रों को उत्पादन एवं विपणन में सहयोग देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
10. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की समस्त मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र की सहभागिता से संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देना।
11. तकनीकी संस्थानों एवं विशेषज्ञों के सहयोग से तकनीकी उन्नयन के लिए तकनीकी सुविधा केन्दों की स्थापना करना, जिससे राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को तकनीकी सहयोग मिल सके।
12. एक राज्य स्तरीय अतंर्विभागीय टास्क फोर्स का गठन करना, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास हेतु कार्य करे।
13. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को उचित दरों पर आधारभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में औद्योगिक आस्थान विकसित करना।
14. राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को क्लस्टर के माध्यम से बढ़ावा देना।
15. निर्यात को बढ़ावा देने के लिये संस्थागत सहयोग प्रदान करना।
16. जिला उद्योग केन्द्रों का एकल सूचना, सहायता एवं सुकरता केन्द्र के रूप में सुदृढ़ीकरण करना।
17. मेला/प्रर्दशनी/उत्सव इत्यादि में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रतिभाग हेतु सहायता एवं विपणन हेतु हाट एवं विपणन पार्क के विकास द्वारा सहायता।
18. हस्तशिल्प, हथकरघा एवं खादी क्षेत्र में डिजाईन एवं विपणन सहायता के लिए संस्थागत व्यवस्था।
19. सूक्ष्म, लघु उद्यम क्षेत्र सम्बन्धी नीतियों एवं योजनाओं की समीक्षा व सहयोग एवं शिकायत निवारण के लिये एक सुदृढ़ संस्थागत तंत्र विकसित करना।
20. जल संसाधन का समुचित दोहन व उपचार, अवशिष्ट जल का पुनर्चक्रण (Recycle) गैर परम्परागत ऊर्जा क्षेत्रों को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण के लिये हरित तकनीक के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा लाया गया नेशनल सोलर मिशन कार्यक्रम एक वृहत प्रयास है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा के साथ–साथ सतत् पारिस्थितिकी विकास को बढ़ावा मिल सके।
21. श्रमिकों के अनुकूल नीतियों को अपनाने तथा श्रमिकों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अवस्थापना के सृजन, यथाः ईएसआई हास्पिटल, औषधालय, कल्याण केन्द्र एवं औद्योगिक श्रमिक आवासीय सुविधाओं का विकास आदि।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति का व्यापक प्रचार–प्रसार ब्लाक एवं ग्राम स्तर तक सुनिश्चित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में एक अभियान चलाकर नीति की जानकारी, स्वरोजगार हेतु अभिप्रेरण एवं युवाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए इच्छुक युवाओं का चिन्हीकरण किया

जायेगा। इन्हें प्रशिक्षित कर संबंधित योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषण एवं अन्य सभी सहयोग प्रदान किये जायेंगे, ताकि वे सफलतापूर्वक उद्यम चला सकें।

## वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता के लिये चिन्हित क्षेत्रों का वर्गीकरण

विभिन्न सहायताओं एवं अनुदानों को मात्राकृत करने के लिये प्रदेश को निम्नानुसार 04 श्रेणियों में विभाजित किया गया है:–

| श्रेणी | सम्मिलित/आच्छादित क्षेत्र |
|---|---|
| श्रेणी– एः | जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व **बागेश्वर** का सम्पूर्ण क्षेत्र। |
| श्रेणी– बी | • जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल व अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू–भाग।<br>• जनपद देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड।<br>• जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड। |
| श्रेणी–सी | • जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्र तल से 650 मी0 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।<br>• जनपद नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकासखण्ड। |
| श्रेणी–डी | • जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष क्षेत्र **(श्रेणी–बी व सी में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर)** |

नोटः– **श्रेणी–सी एवं डी के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में केवल विनिर्माणक गतिविधियों (Manufacturing Activities) पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।**

## वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिये चिन्हित सेवा/विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम

वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान सहायता के लिये निम्नांकित गतिविधियॉ/कियाकलाप पात्र/अर्ह (Eligible) होंगे:–

| श्रेणी–ए एवं बी |
|---|
| • हरित तथा नारंगी श्रेणी के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्यम।<br>• विशेष औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत अधिसूचित थ्रस्ट सैक्टर उद्योग/गतिविधियॉ।<br>• प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियॉ, यथा: कुक्कुट पालन तथा पर्यटन कियाकलाप।<br>• पूर्वात्तर राज्यों के लिये घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज में सम्मिलित सेवा क्षेत्र व अन्य क्षेत्र की निम्न गतिविधियॉ:–<br>➢ होटल, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल, रोप–वे।<br>➢ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं युक्त नर्सिंग होम।<br>➢ व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, यथा: होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड फूड काफ्ट, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, नर्सिंग एवं पैरामैडिकल, नागरिक विमानन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाईनिंग तथा औद्योगिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण।<br>• जैव प्रौद्योगिकी।<br>• संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी, कोल्ड स्टोरेज आदि गतिविधियॉ।<br>• पैट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदाम। |
| • **श्रेणी–सी एवं डी में मात्र विनिर्माणक गतिविधियॉ।** |
| • **रीवर बेड मैटेरियल आधारित उद्योगों (स्टोन केशर सहित) पर छूट/रियायतों का लाभ पूरे प्रदेश में अनुमन्य नहीं होगा।** |

3.1 उत्पादित उत्पादों के विपणन, कच्चामाल तथा तैयार माल के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जा रहे परिवहन भार वाहन(Transport Vehicle) पर किया गया स्थिर पूंजी निवेश भी पूंजी उपादान के लिये अर्ह माना जायेगा।

3.2 स्वयं के स्वामित्व/कय किये गये/लीज पर लिये गये भवन में उद्यम संचालन हेतु आवश्यक अतिरिक्त निर्माण/परिवर्द्धन/रिनोवेशन पर व्यय को भी स्थिर पूंजी निवेश में शामिल किया जायेगा।

3.3 नीति के अन्तर्गत कठिनाईयों के निवारण तथा स्पष्टीकरण जारी करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अधिकृत होगा।

————————X————————X————————

## 4 वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूट (Fiscal Incentives & Concessions)

4.1 निवेश प्रोत्साहन सहायता:– उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर निम्नांकित श्रेणियों के अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य होगी:–

| क्र.सं. | श्रेणी | प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा |
|---|---|---|
| 1 | श्रेणी– ए | 40 प्रतिशत (अधिकतम रू0 40 लाख) |
| 2 | श्रेणी– बी | 35 प्रतिशत (अधिकतम रू0 35 लाख) |
| 3 | श्रेणी– सी | 30 प्रतिशत (अधिकतम रू0 30 लाख) |
| 4 | श्रेणी– डी | 15 प्रतिशत (अधिकतम रू0 15 लाख) |

* भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान योजना में अनुमन्य उपादान की सुविधा के अतिरिक्त श्रेणी–ए, बी एवं सी के जनपदों/क्षेत्रों में राज्य निवेश प्रोत्साहन सहायता भी अनुमन्य होगी, किन्तु इन योजनाओं में वित्तीय प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा/मात्रा उद्यम में किये गये कुल स्थिर पूंजी निवेश का 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 60 लाख से अधिक नहीं होगी।

* श्रेणी–डी में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित पूंजी निवेश उपादान योजना/निवेश प्रोत्साहन योजना में से केवल एक ही श्रोत से उपादान सहायता अनुमन्य होगी।

4.2 ब्याज उपादान:–

| क्र.सं. | श्रेणी | अनुदान की मात्रा/सीमा |
|---|---|---|
| 1 | श्रेणी– ए | 10 प्रतिशत (अधिकतम रू. 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) |
| 2 | श्रेणी– बी | 08 प्रतिशत (अधिकतम रू. 06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) |
| 3 | श्रेणी– सी | 06 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) |
| 4 | श्रेणी– डी | शून्य |

4.3 मूल्यवर्धित कर (VAT) की प्रतिपूर्ति (Reimbursement):– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा दिये गये वैट (VAT) की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जायेगी:–

| क्र.सं. | श्रेणी | प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा |
|---|---|---|
| 1 | श्रेणी– ए | प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 90 प्रतिशत |
| 2 | श्रेणी– बी | प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत |
| 3 | श्रेणी– सी | शून्य |
| 4 | श्रेणी– डी | शून्य |

4.4 स्टाम्प शुल्क में छूट:–

| क्र.सं. | श्रेणी | छूट की मात्रा/सीमा |
|---|---|---|
| 1 | श्रेणी– ए | शत प्रतिशत |
| 2 | श्रेणी– बी | शत प्रतिशत |
| 3 | श्रेणी– सी | शत प्रतिशत |
| 4 | श्रेणी– डी | 50 प्रतिशत |

4.5 विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति (Reimbursement):– विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति श्रेणी–ए एवं बी क्षेत्रों में निम्नानुसार अनुमन्य होगी। श्रेणी–सी एवं डी क्षेत्रों में यह सुविधा देय नहीं होगी:–

| संयोजित विद्युत भार | श्रेणी– "ए" | श्रेणी– "बी" * |
|---|---|---|
| | प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा | प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा |
| 100 केवीए | प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत। | प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 60 प्रतिशत। |
| 100 केवीए से ऊपर | 60% | 50% |

* यह सुविधा अधिक विद्युत खपत वाले उद्यमों यथा: होटल/मोटल, रिसार्ट, गैस्ट हाऊस, स्टील रोलिंग मिल, विद्युत भट्टी पर लागू नहीं होगी।

4.6 विशेष राज्य परिवहन उपादानः–

| क्र.सं. | श्रेणी | उपादान की मात्रा/सीमा |
|---|---|---|
| 1 | श्रेणी– ए | वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 07 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई |
| 2 | श्रेणी– बी | वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत, अधिकतम रू. 05 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई |
| 3 | श्रेणी– सी | शून्य |
| 4 | श्रेणी– डी | शून्य |

- मूल्यवर्द्धित कर की प्रतिपूर्ति उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से देय होगी।
- रीवर बेड मैटेरियल पर छूट/रियायतों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- नीति में प्रदत्त छूट/रियायतें श्रेणी–सी तथा डी के जनपदों/क्षेत्रों में अवस्थित होने वाले पर्यटन/सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को अनुमन्य नहीं होंगे।

————————X————————X————————

विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में उक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त स्वीकृत अन्य सभी प्रोत्साहन सुविधायें श्रेणी–ए एवं बी के जनपदों/क्षेत्रों में यथावत् लागू रहेंगी। अध्याय–4 से 9 तक वर्णित प्राविधान पूरे प्रदेश में लागू होंगे।

## 5 अवसंरचनात्मक सहयोग (Infrastructural Support)

5.1 **भूमि बैंक(Land Bank)**–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिये भूमि क्रय में एक बड़ी धनराशि निवेश करने में उद्यमियों को कठिनाई होती है। अतः नितान्त आवश्यक है कि इन्हें रियायती दरों एवं आसान शर्तो पर भूमि उपलब्ध करायी जाय। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो के लिये उनकी आवश्यकता के आधार पर औद्योगिक अवसंरचना विकास के लिये भूमि बैंक की व्यवस्था की जायेगी। उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों के पास उपलब्ध ऐसी भूमि जहॉ पर अवसंरचना विकास सम्भव हो, को भूमि बैंक में सम्मिलित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर ऐसी भूमि का चिन्हीकरण किया जायेगा, जिनको औद्योगिक आस्थानों के रूप में विकसित किया जा सके। **मा0 मंत्रिमण्डल के निर्णयानुसार 100 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लक्ष्य को देखते हुये प्रथम चरण में चिन्हित व्यवहार्य स्थलों, जहॉ पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास की सम्भावना अधिक हो, पर 25 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे। व्यवहार्य चिन्हित स्थलों पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिये उद्योग विभाग के स्वामित्व की भूमि तथा अन्य राजकीय भूमि हेतु प्राथमिकता जिलाधिकारी के माध्यम से भूमि के अर्जन के साथ–साथ स्थानीय भूस्वामियों से, जो अपनी भूमि विकास हेतु देना चाहते हैं, उचित मूल्य पर भूमि अर्जित की जायेगी।**

5.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये विशेष औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की जायेगी। सिडकुल के एकीकृत औद्योगिक आस्थानों में भी 25 प्रतिशत भूमि सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिये आरक्षित रखी जायेगी। अवसंरचनात्मक सहयोग योजना (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार) के माध्यम से प्राप्त सहायता/उपादान को लघु/सूक्ष्म उद्यमियों तक भूमि की न्यूनतम लागत के रूप में पहुचॉया जायेगा और राज्य सरकार भी उद्यमियों को कम मूल्य पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये चयनित विकासकर्ता संस्था/सिडकुल को सहायता/उपादान उपलब्ध करायेगी।

भूमि की दरों का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की संस्तुति के आधार पर भूमि की वास्तविक कीमत, अवस्थापना सुविधाओं के विकास की लागत, प्रचलित भूमि की दरों को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्र विशेष में औद्योगिक विकास की स्थिति को देखते हुये किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत अधिकारी द्वारा ऐसे सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को भी चिन्हित किया जायेगा, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन किया जा सकता है। भूमि आवंटन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय उद्योग मित्र परिषद द्वारा किया जायेगा।

5.3 **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए अवसंरचना विकास कोष की स्थापना**:– नये औद्योगिक आस्थानों की स्थापना एवं विद्यमान औद्योगिक आस्थानों की अवसंरचना विकास के लिये एक पृथक कोष का सृजन किया जायेगा, जिसके लिये सिडकुल, राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों से वित्तीय सहायता लेकर इस कोष में धनराशि रखी जायेगी। कोष के गठन के लिये प्रारम्भ में सिडकुल द्वारा रू0 20 करोड़ की धनराशि दी जायेगी।

इस कोष से एक सम्पूर्ण सहायता व्यवस्था को वित्तपोषित किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो में कलस्टर निर्माण के लिए डी. पी. आर. बनाना, विशेषज्ञों, कंसल्टेन्सी, सलाहकार सेवा सम्बन्धी कार्यो के लिए प्रारम्भिक वित्तीय सहायता (और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिये राज्यांश) की व्यवस्था इस कोष से की जायेगी।

इस कोष के संचालन/व्यय की स्वीकृति के लिये एक प्राधिकृत समिति का गठन किया जायेगा, जिसे अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जायेगा।

5.4 नये औद्योगिक आस्थानों का विकासः– राज्य सरकार नये औद्योगिक आस्थान विकसित करने के लिये आवश्यक सहायता उपलब्ध करायेगी। इन औद्योगिक आस्थानों में प्राथमिक अवसंरचना, जैसेः सड़क, बिजली, पानी, निकास व्यवस्था के साथ–साथ पूरक सुविधाओं के रूप में पुलिस स्टेशन, बैंक, श्रमिक आवास, अवशिष्ट प्रबन्धन तंत्र, ईएसआई अस्पताल इत्यादि का भी आवश्यकतानुसार प्राविधान किया जायेगा। नये औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य प्रयोजन हेतु संबंधित संस्था सिडकुल द्वारा किया जायेगा।

5.5 बहुतल आस्थानों की स्थापनाः– सूक्ष्म व छोटी इकाईयों को स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नये एवं पूर्व से स्थापित औद्योगिक आस्थानों में फैक्ट्री शेडों/फ्लैट्स का निर्माण किया जायेगा, जिससे कि उद्यमियों के बहुमूल्य समय/संसाधन को, भूमि भवन की खोज में निवेश करने की अपेक्षा औद्योगिक विकास में लगाया जा सके।

राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिये बहुतल आस्थानों का निर्माण किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम आस्थानों/फ्लैटेड फैक्ट्रीज के लिये आसान एवं एफएसआई एवं न्यूनतम प्लाट साइज का निर्धारण किया जायेगा तथा इनमें प्राथमिक सुविधाओं युक्त भूखण्ड/शेडों का आवंटन पट्टे अथवा किराये के संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उद्यमियों को विद्युत, संचार आदि समस्त सुविधायें उपलब्ध होगी, जिससे वह सिर्फ मशीन–संयंत्र लगाकर उत्पादन कार्य कर सके।

5.6 स्थापित औद्योगिक आस्थानों का उन्नयनः– इस नीति के अन्तर्गत पूर्व से स्थापित औद्योगिक आस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। भारत सरकार की अवसंरचना विकास योजनान्तर्गत प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। जिला योजनाओं में औद्योगिक आस्थानों के रख–रखाव के लिये समुचित बजट प्राविधान किया जायेगा।

5.7 वैण्डर एवं अनुपूरक (Ancillory) पार्क :– मध्यम तथा वृहद उद्योंगों को अपने वैण्डर पार्क स्थापित करने के लिए भूमि प्राप्त करने तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 20 प्रतिशत की दर से रू. 01 करोड़ की सीमा तक की सहायता दी जायेगी। इस पार्क में संबंधित मुख्य उद्यमियों को कम से कम 10 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को स्थापित करना आवश्यक होगा।

5.8 कलस्टर विकास योजनाः– राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की कलस्टर विकास योजना सें आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्राप्त करेगी। राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार सामान्य सुविधा केन्द्र (Common Facility Centre) हेतु भूमि सहित अन्य आवश्यक सहायता दी जा सकेगी। प्रत्येक कलस्टर हेतु विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा सहायता हेतु पैकेज तैयार किया जायेगा।

————————X————————X————————

## 6- संस्थागत सहयोग/सरलीकरण/अधिनियमन

6.1 एकल खिड़की सुगमता एवं अभिज्ञापन अधिनियमः– राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों की उद्यम स्थापना सम्बन्धी समस्याओं, आपत्तियों एवं स्वीकृतियों के समयबद्ध निस्तारण के उद्देश्य से **"उत्तराखण्ड उद्यमिता एकल खिड़की सुगमता एवं अभिज्ञापन अधिनियम– 2012"** लागू किया गया है।

**(i)** यह व्यवस्था उद्यमियों को सूचना तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाते हुए उन्हें एक ही पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करायेगा। उद्यमियों को सभी आवश्यक स्वीकृतियों/अनापत्तियों एवं अनुज्ञाओं को सरलतापूर्वक प्राप्त करने हेतु एकल आवेदन पत्र विकसित किया जायेगा।

**(ii)** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनसे सम्बन्धी शिकायतों एवं वैधानिक जरूरतों के सम्बन्ध में स्व–प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था का प्रावधान किया जायेगा।

6.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कोष– नीति के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदानों का समयबद्ध संवितरण सुनिश्चित करने हेतु एमएसएमई विकास निधि गठित की जायेगी, जिसमें राज्य सरकार, सिडकुल व अन्य श्रोतों द्वारा धनराशि दी जा सकेगी, ताकि स्वीकृति के पश्चात् तत्काल धनराशि इकाईयों को वितरित की जा सके। एकल खिड़की अधिनियम के अन्तर्गत भी समयबद्ध वितरण हेतु प्रभावी व्यवस्था बनाई जायेगी।

6.3 उद्योग मित्रः– उत्तराखण्ड राज्य में उद्यमियों से सतत् संवाद, उनकी समस्याओं के निराकरण तथा नीतिगत विषयों पर निर्णय हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर उद्योग मित्र का गठन किया गया है। उद्योग मित्र को त्रिस्तरीय बनाया जायेगा। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन माह में एक बार एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर पर वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित की जायेगी। जिला स्तरीय उद्योग मित्र में जिलाधिकारी सभी सम्बन्धित विभागों, जैसेः वन, उद्यान, कृषि, पशुपालन, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन आदि का सहयोग लेते हुये जनपद के लिये सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास की कार्ययोजना बनायेंगे। इसमें वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों का समुचित सहयोग सुनिश्चित कराया जायेगा। नीतिगत प्रकरणों को राज्य स्तर पर सन्दर्भित किया जायेगा।

6.4 उत्तराखण्ड सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुकरता परिषद(**Uttarakhand Micro and Small Enterprise Facilitation Council**):– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम–2006 मे परिकल्पित व्यवस्था के अनुसार राज्य में निदेशक उद्योग/एमएसएमई की अध्यक्षता में राज्य सुकरता परिषद का गठन किया गया है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विलम्बित संदायों से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण करने का एक प्रभावी तंत्र (Mechanism) है। सुकरता परिषद व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिये अवसंरचना एवं मानव संसाधन विकास हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। भारत सरकार से इस हेतु सहायता के प्रयास किये जायेंगे।

6.5 उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रकोष्ठः– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय में यह प्रकोष्ठ उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से जुड़ी राज्य की विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करेगा। प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के निर्धारण के लिये एक **"विस्तृत मांग एवं पूर्ति अंतर"** का अध्ययन कराया जायेगा एवं तद्नुरूप प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षण संचालित किये जायेंगे।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उद्योगों की मांग के अनुसार राज्य में कौशल विकास मिशन को बढ़ावा देने एवं अभिज्ञापित करने में समन्वय स्थापित करते हुये उद्योगों की मॉग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहयोग देगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा अपने कर्मकारों के विशेषीकृत प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित करने पर राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों, यथाः भारतीय प्रबन्ध संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10,000/– की सीमा तक सहायता दी जायेगी। उद्यमों द्वारा अपने कर्मकारों को प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय से प्रारम्भिक सहमति ली जायेगी।

यह प्रकोष्ठ कौशल विकास मिशन, आईटीआई, पॉलीटैक्निक के साथ समन्वय एवं सहयोग कर कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। कौशल विकास कार्यकम के बृहद प्रचार–प्रसार हेतु प्रदेश में सघन अभियान चलाये जायेंगे।

6.6 <u>वेण्डर/सहायक उद्यम एवं कलस्टर विकास प्रकोष्ठः</u>– राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अधिकाधिक वरीयता दिये जाने के क्रम में मार्गदर्शक व सुगमकर्ता (facilitator) की भूमिका निभाने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया जायेगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (Public Sector Units), बृहत उद्यमों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को एक दूसरे से समन्वय में सहायता करेगा जिससे कि सार्वजनिक उपक्रमों तथा बृहत उद्यमों को वस्तु/सेवा की आपूर्ति में सूक्ष्म, लघु इकाईयां सक्षम हो सके।

यह प्रकोष्ठ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (Public Sector Units) से जोड़ने के लिये मार्गदर्शन एवं आवश्यक प्रशिक्षण/ क्षमता–निर्माण कार्यक्रय जैसे– क्रेता–विक्रेता सम्मेलन, नियमित संवाद आदि का आयोजन करेगा।

6.7 <u>स्वरोजगार को बढ़ावाः</u>– जनपद स्तर पर सभी स्वरोजगारपरक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने, आवेदन पत्र एवं परियोजना रिपोर्ट तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का कार्य जिला उद्योग केन्द्र में परामर्शकक्ष के माध्यम से किया जायेगा। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र सभी विभागों/परियोजनाओं/संस्थाओं के साथ समन्वय बनायेंगे और जिला उद्योग मित्र में इनकी एकीकृत समीक्षा भी की जायेगी। विभिन्न विभागों/संस्थाओं के माध्यम से संचालित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय आजीविका एवं स्वरोजगार विकास के कार्यकमों के साथ समन्वय करते हुये उपलब्ध संसाधनों का नियोजित रूप से अधिकतम उपयोग किया जायेगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शिक्षित युवाओं को चिन्हित कर प्रतिवर्ष 500–1000 लोगों को उद्यमिता एवं कौशल में प्रशिक्षित कर स्वतः उद्यम स्थापित करने में सहायता दी जायेगी, ताकि प्रशिक्षित लोग नौकरी ढूंढने के बजाय अपने उद्यम के माध्यम से अन्य लोगों को रोजगार देने में सफल हो सकें। इन्हें वित्त पोषण सहित सभी आवश्यक सहायतायें विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी।

**(i)** **–स्वरोजगार एवं उद्यमिता दिवस का आयोजनः**–प्रत्येक माह का अन्तिम शुक्रवार **स्वरोजगार एवं उद्यमिता दिवस** के रूप में मनाया जायेगा। इस दिन जिला उद्योग केन्द्रों में स्वरोजगार एवं लघु उद्यमों से जुड़े सभी विभागों/संस्थाओं/बैंकों के अधिकारी उपलब्ध रहेंगे एवं अपनी–अपनी योजनाओं की जानकारी उद्यमियों को उपलब्ध कराते हुये यथासम्भव नियमानुसार उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार द्वारा जनपद के युवाओं एवं नव उद्यमियों को इस दिवस में सम्मिलित होने के लिए सूचना दी जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उस दिन सम्बन्धित अधिकारी उक्त दिवस हेतु उपलब्ध रहें।

**(ii)** –शैक्षणिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों में उद्यमिता एवं स्वरोजगार प्रोत्साहन हेतु शिक्षा विभाग/ तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जायेगा, ताकि इन संस्थाओं में शिक्षारत युवाओं को स्वरोजगार के सम्बन्ध में उचित जानकारी एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके।

**(iii)** –**प्रधानमंत्री रोजगार योजना** की तर्ज पर राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन करेगी। इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों को विनिर्माणक क्षेत्र में अधिकतम रू. 05 लाख एवं व्यवसाय व सेवा क्षेत्र में अधिकतम रू. 03 लाख तक के ऋण बैंको के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत निम्न सारणी के अनुसार मार्जिन मनी सहायता दी जायेगी:–

| मार्जिन मनी सहायता | | |
|---|---|---|
| श्रेणी | शहरी क्षेत्र | ग्रामीण क्षेत्र |
| सामान्य वर्ग | 15 प्रतिशत | 25 प्रतिशत |
| एससी/एसटी/महिला/पूर्व सैनिक/अल्पसंख्यक/पर्वतीय क्षेत्र | 25 प्रतिशत | 35 प्रतिशत |

योजनान्तर्गत वे गतिविधियॉ जिन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन (KVIC), भारत सरकार ने नाकारात्मक सूची के रूप में चिन्हित किया है, भी वित्तपोषित की जायेंगी।

उक्त वित्तीय सीमा से ऊपर की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित किया जायेगा। राज्य की स्थानीय जरूरतों को देखते हुये अधिकाधिक गतिविधियां इस योजना में शामिल की जायेंगी।

6.8 <u>निर्यात प्रोत्साहन प्रकोष्ठः–</u> प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से निदेशालय में एक निर्यात प्रोत्साहन प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी। इस प्रकोष्ठ में समुचित स्टाफ एवं संसाधन सृजित किये जायेंगे। प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन परिषदों, राष्ट्रीय स्तर के निर्यात प्रोत्साहन संस्थानों जैसेः फीयो, डीजीएफटी, आईआईएफटी से समन्वय करते हुये भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं सूचनाओं को प्रदेश के निर्यातकों तक पहुंचाने हेतु प्रयास किया जायेगा। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात प्रोत्साहन मेलों में राज्य सरकार की ओर से प्रतिभाग किया जायेगा एवं जिन देशों में प्रदेश के उत्पादों के निर्यात की सम्भावनायें हों, उनमें निर्यातकों एवं निर्यात प्रोत्साहन परिषदों के साथ मिलकर व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल का समय–समय पर भ्रमण किया जा सकेगा।

6.9 <u>तकनीकी व्यवसायिक इन्क्यूबेटरः–</u> सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में नवीन तकनीकी व डिजाईन विकास के उद्देश्य से आटोमोबाईल, मशीन टूल, खाद्य प्रसंस्करण, इलैक्ट्रानिक, वन आधारित उद्यम व चिन्हित/चयनित कलस्टर, इत्यादि क्षेत्रों में तकनीकी व्यवसायिक इन्क्यूबेटर/उत्कृष्टता के केन्द्र स्थापना हेतु आधारभूत संरचना पर किये गये व्यय पर रू. 50 लाख तक प्रति इन्क्यूबेटर/उत्कृष्टता के केन्द्र हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी।

**राज्य के विश्व विद्यालयों, तकनीकी एवं शोध संस्थानों को नये एवं उभरते उद्यमियों को इन्क्यूबेटर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।**

6.10 <u>जॉच प्रयोगशाला एवं प्रमाणीकरणः–</u> वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए सामान्य उद्यम तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की जॉच सम्बन्धी जरूरतों की पूर्ति के लिये State of the Art Machineries आधार पर जॉच प्रयोगशालायें स्थापित की जायेंगी, जिसके लिये स्वायत्त अनुदान की व्यवस्था हेतु लोक निजी सहभागिता के आधार पर सम्भावनायें तलाशी जायेंगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृति के लिए आवेदन इत्यादि की प्रक्रिया में उद्योग निदेशालय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संगठनों की तरफ से समन्वय स्थापित करेगा।

6.11 <u>उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण</u>:– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स कमेटी द्वारा दी गई सिफारिशों में जिला उद्योग केन्द्रों का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली एजेंसी के रूप में सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है। टॉस्क फोर्स कमेटी द्वारा जिला उद्योग केन्द्र को योजनाओं/नीतियों/व्यवहार्य गतिविधियो की परियोजना, रूपरेखा व विपणन सहायता पर व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने के अभिकरण के रूप में सुदृढ़ करने की प्रबल संस्तुति की गई है। जिला उद्योग केन्द्रों को अन्य विभागों/संगठनों एवं वित्तीय संस्थानों से प्रभावी समन्वय कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सुकरता की भूमिका निभानी चाहिये। अतः उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

एमएसएमई (उद्योग) निदेशालय में उपरोक्तानुसार नीति में प्रस्तावित प्रकोष्ठों को सुदृढ़ किया जायेगा। इन प्रकोष्ठों हेतु तकनीकी एवं विशिष्ट सहायता हेतु व्यवसायिक संस्थाओं को सेवाओं हेतु एम्पैनल किया जा सकेगा अथवा विशेषज्ञों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा। उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों के ढॉचे का पुनर्गठन किया जायेगा। निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का पूर्णकालिक पद सृजित किया जायेगा।

विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों की क्षमता बृद्धि हेतु उन्हें उपयुक्त संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा और प्रदेश से बाहर भी भ्रमण कार्यक्रमों में समय–समय पर भेजा जायेगा।

जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित उद्यमों एवं सम्भावित उद्यमियों के चिन्हीकरण, प्रशिक्षण तथा वित्त पोषण सहित सभी वांछित सहायतायें उपलब्ध कराई जायेंगी। एमएसएमई विभाग द्वारा अन्य पर्वतीय राज्यों एवं उत्तराखण्ड की तरह भौगोलिक स्थिति वाले देशों/क्षेत्रों का भ्रमण कर उनके द्वारा अपनाई गई रणनीति का लगातार अध्ययन किया जायेगा एवं राज्य के लिये एक गतिशील कार्ययोजना वर्षवार बनाई जायेगी।

जनपदवार एवं विकासखण्डवार सम्भावित उद्यमों को चिन्हित कर इनके लिये बैंकेबल परियोजनायें निर्माण कराई जायेंगी। इसके लिये सिडबी, नाबार्ड एवं बैंकों की सहायता भी ली जायेगी। जिला उद्योग केन्द्रों में परामर्श एवं सूचना कक्षों को सुदृढ़ बनाते हुये उद्यमियों को वांछित जानकारियॉ उपलब्ध कराने हेतु सक्षम बनाया जायेगा।

6.12 <u>प्रदूषण</u>:– वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश संख्याः 16011/1/92–सीपीडब्ल्यू दिनांकः 29 सितम्बर, 1992 को लागू कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहमति एवं नवीनीकरण (Renewal) के लिये अनापत्ति प्रमण–पत्र की प्रक्रिया को सहज एवं कारगर बनाया जायेगा। इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का आवेदन जो कि वायु (Prevention and Control of Pollution Act, 1980) अधिनियम–1980 एवं जल (Prevention and Control of Pollution Act, 1974) अधिनियम–1974 से सम्बन्धित हो, के क्रम में की गई जॉच प्रक्रिया सिर्फ भारी प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों (वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांकः 29 सितम्बर, 1992 में भारी उद्योग के रूप में उल्लिखित) पर ही लागू होंगी।

यह व्यवस्था की जायेगी कि अन्य श्रेणी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आवदेन पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अभिस्वीकृति ही सहमति (Consent) के रूप में कार्य करे, जिसके

नवीनीकरण (Renewal) की तब तक आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि उद्यम की प्रक्रिया में बदलाव अथवा आधुनिकीकरण न हो।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नारंगी श्रेणी के उद्योगों को तीन वर्ष एवं हरित श्रेणी के उद्योगों को पॉच वर्ष की अवधि के लिये सहमति/प्राधिकार(Consent) दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्तानुसार दून वैली क्षेत्र में भी हरित एवं नारंगी श्रेणी के उद्योगों को प्रतिवर्ष नवीनीकरण के स्थान पर उपरोक्तानुसार व्यवस्था की जायेगी।

पर्वतीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुल्क की दरों में कमी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

दून वैली अधिनियम के प्राविधानों में वर्तमान प्रौद्योगिकी उन्नयन /तकनीकी प्रगति को देखते हुये भारत सरकार को अपनी संस्तुतियॉ दिये जाने हेतु विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुये एक "**वर्किंग ग्रुप**" बनाया जायेगा।

6.13 <u>ऋण (Credit)</u>:– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास एवं उत्तरजीविता (Survival) के लिये पर्याप्त संस्थागत ऋण की उपलब्धता के प्रयास बहुत आवश्यक होते है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो हेतु पर्याप्त संस्थागत ऋण प्रवाह बनाये रखने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

रू. 01 करोड़ तक के समस्त ऋणों को क्रेडिट गारण्टी फण्ड (Credit Guarantee Fund) योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने हेतु बैंकों के साथ समन्वय किया जायेगा, ताकि उद्यमियों को ऋण के सापेक्ष कोलेटरल प्रतिभूति दिये जाने से मुक्त रखा जा सके। राज्य सरकार द्वारा पृथक से केडिट गारण्टी फण्ड की भी स्थापना की जायेगी। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय से राज्य सरकार के फण्ड को समानुपातिक गारण्टी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। महिलाओं द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु भारतीय महिला बैंक का समुचित सहयोग लिया जायेगा।

रुपये 05 लाख तक के पूंजी निवेश वाले सूक्ष्म उद्यमों (सेवा क्षेत्र सहित) के लिये बीमा योजना लागू की जायेगी, जिसका 75 प्रतिशत प्रीमियम सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

6.14 <u>रूग्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए पुनर्वास योजना</u>:– उद्यमों को रूग्णता से बचाने के लिए प्रयास किये जायेंगे। रूग्ण इकाईयों का समय पर पुनरोद्धार किये जाने के प्रयास किये जायेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की रूग्ण इकाईयों के पुनरोद्धार हेतु गठित प्राधिकृत समिति (Empowered Committee) के सुझावों पर राज्य सरकार रूग्ण इकाईयों के नैदानिक अध्ययन (Diagnostic Study) के लिए सहायता प्रदान करेगी।

राज्य सरकार वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर रूग्ण इकाईयों के पुनरोद्धार एवं पुनर्वास के पैकेज को तैयार करेगी एवं लागू करने के लिए प्रयासरत रहेगी।

————————X————————X————————

## 7 तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता प्रमाणन, शोध एवं विकास तथा तकनीकी सहायता:

7.1 मिनी टूल रूम:– राज्य सरकार प्रमुख उद्योग क्लस्टरों में भारत सरकार की राष्ट्रीय विनिर्माणक प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (National Manufacturing Competitiveness Programme) के तहत मिनी टूल रूम की स्थापना करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार अन्य औद्योगिक कलस्टर व औद्योगिक संगठनों द्वारा लाई गई मिनी टूल रूम परियोजनाओं को परियोजना लागत के 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 02 करोड़) की सहायता, मांग आधारित सामरिक स्थान पर स्थापित करने पर सहायता करेगी।

7.2 विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा:– भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (NMCP) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आवश्यकतानुसार सहायता एवं सहयोग राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

- लीन मैन्यूफैक्चरिंग के लिये आवेदन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम।
- विनिर्माण क्षेत्र में सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देना।
- सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यमों को तकनीकी एवं गुणवत्ता उन्नयन के लिये सहायता।
- सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यमों को विनिर्माणक क्षेत्र में उद्यमशीलता एवं प्रबन्धकीय विकास के लिए सहायता।
- विनिर्माणक क्षेत्र में डिजाईन उत्कृष्टता के लिये डिजाईन क्लीनिक योजना।
- गुणवत्ता प्रबन्धन क्षमता (QMS) व गुणवत्ता तकनीकी साधन (QTT) के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना।
- बौद्धिक सम्पदा में निवेश हेतु राष्ट्रीय अभियान।
- मार्केटिंग सपोर्ट/सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यम क्षेत्र को सहायता।

7.3 ऊर्जा एवं जल संरक्षण:–

- किसी प्रतिष्ठित/मान्यता प्राप्त संस्थान से ऊर्जा एवं जल अंकेक्षण करवाने पर अंकेक्षण लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 50 हजार) तक का पुनर्भुगतान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को किया जायेगा।
- इकाईयों के संघ/क्लस्टरों को वरीयता दी जायेगी।
- 05 वर्ष की अवधि में ऊर्जा/जल दक्षता हेतु लगाये गये संयंत्रों की लागत का 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 10 लाख) तक सहायता दी जायेगी।

7.4 शोध एवं विकास संस्थानों को सहायता:–

- राज्य सरकार के सहयोग से स्थापित होने वाले शोध एवं विकास संस्थानों को उनकी मांग के अनुसार सहायता दी जायेगी, जिसमें नये शोध एवं विकास विकास संस्थान, जॉच सुविधायें, इन्क्यूबेटर सैन्टर इत्यादि भी शामिल होंगे। परियोजना लागत की 80 प्रतिशत तक सहायता उपलब्ध करायी जा सकेगी।
- पात्र गतिविधियों एवं सस्थानों का निर्धारण राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति (State Level Empowered Committee) द्वारा किया जायेगा।
- किसी औद्योगिक इकाई/औद्योगिक संगठन द्वारा किसी प्रतिष्ठित शोध एवं विकास संस्थान/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी विद्यालय के माध्यम से प्रायोजित शोध कार्य के लिये

परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 50 लाख) की सहायता की जायेंगी (इसमें भूमि एवं भवन की लागत सम्मिलित नहीं होंगी)।

7.5 जहाँ भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय अथवा किसी और मंत्रालय द्वारा एक ही प्रकार की योजनायें संचालित की जा रही हों, वहाँ यह प्रयास किया जायेगा कि पहले भारत सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त की जाय। यदि भारत सरकार से सहायता न मिल पाये तो राज्य सरकार द्वारा नीति के अन्तर्गत प्राविधानित योजनाओं में सहायता दी जायेगी।

7.6 **गुणवत्ता प्रमाणीकरणः**– पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को 05 वर्ष की अवधि में अधिकतम 3 गुणवत्ता प्रमाणन के लिये, गुणवत्ता प्रमाणन की लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 06 लाख (पॉच वर्षो में) तक की सहायता दी जायेगी, प्रमाणीकरण लागत में निम्न अवयव शामिल होंगेः–

- प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा लिया गया शुल्क (परिवहन, रहने व सर्विलांस की सुविधा को छोड़कर)।
- जॉच उपकरणों की लागत।
- उपकरणों की जांच की लागत।
- प्रशिक्षण एवं परामर्श शुल्क (परिवहन, रहने व सर्विलांस को छोड़कर)।

7.7 **श्रेष्ठ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पुरूस्कारः**– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो को निम्न श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरूस्कार दिये जायेंगेः–

- उत्पादन व लाभ में वृद्धि।
- गुणवत्ता एवं पर्यावरण सुधार के उपाय।
- नये उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास के लिये तकनीकी उन्नयन।
- उत्तराखण्ड से निर्यात संवर्द्धन करने वाली इकाईयां।

————————X————————X————————

## 8– विपणन सहायता व निर्यात प्रोत्साहन

**8.1** सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रय वरीयता:– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम–2006 के प्राविधानों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये प्राख्यापित क्रय वरीयता नीति का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों, हस्तशिल्प, हथकरघा एवं खादी ग्रामोद्योग इकाईयों के उत्पादों को बढ़ावा मिले और स्थानीय कच्चे माल का सदुपयोग हो सके। इस नीति की समय–समय पर समीक्षा की जायेगी एवं आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे।

**8.2** विपणन सहायता, सेमिनार एवं प्रदर्शनी:–

1) राज्य सरकार देहरादून, हरिद्वार तथा प्रदेश के प्रमुख स्थानों में आधुनिक प्रदर्शनी–व्यापार–सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु प्रयास करेगी, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उत्पादों का प्रदर्शन एवं प्रसार हो सके।
2) उत्पाद प्रदर्शन केन्द्र प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र एवं औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे।
3) **स्थापित सूक्ष्म, लघु, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योग इकाईयों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन के लिये प्रत्येक जनपद में मार्ट की स्थापना की जायेगी। देहरादून में परेड ग्राउण्ड, राज्य के अन्य प्रमुख शहरों/नगरों के रोडवेज बस स्टेशन, मेला भवन, हरिद्वार, उत्तराखण्ड सदन/भवन, नई दिल्ली में लघु मार्ट के लिये जगह की व्यवस्था की जायेगी। यूएचएचडीसी इन मार्टों के संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।**
4) राज्य सरकार, राज्य की पीएसयू एवं विभागों में विभागीय खरीद हेतु सूक्ष्म, लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिये क्रय वरीयता नीति को प्रभावी रूप से लागू करेगी।
5) उद्यमों के क्लस्टरों को एक संयुक्त ब्राण्ड/बैनर के अन्तर्गत उनके उत्पादों के विपणन के लिये परियोजना संरचित करने में सहायता दी जायेगी।
6) हथकरघा/हस्तशिल्प व खादी उत्पादों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों के विपणन एवं ई–विपणन हेतु प्रतिष्ठित फर्म्स/संगठनों (जिन्हें इस कार्य का पर्याप्त अनुभव हो) को सहायता दी जायेगी।
7) उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये संसाधन केन्द्र की स्थापना, प्रलेखन (Documentation) निर्माण में मार्गदर्शन हेतु भारत सरकार से समन्वय स्थापित किया जायेगा। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता एवं अनुदान के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान, भारत सरकार, से समन्वय स्थापित किया जायेगा।

**8.3** किसी प्रतिष्ठित संस्थान से पैकेजिंग डिजाईन करवाने पर, लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 02 लाख) की सहायता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को 05 वर्षो (पांच वर्षो) में एक बार प्राप्त होगी।

**8.4** औद्योगिक संगठनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार/प्रदर्शनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/प्रदर्शनियों के लिये वित्तीय सहायता दिये जाने पर आवश्यकतानुसार विचार किया जायेगा।

**8.5** निर्यात संवर्द्धन:– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय के अन्तर्गत निर्यात सम्बन्धी सूचनाओं के प्रसार प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जो निर्यात पर डाटाबेस निर्माण व निर्यात सवंर्द्धन पर योजनायें बनायेंगी व भारत निर्यात संगठन महासंघ, निर्यात सवंर्द्धन परिषद, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, EXIM बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों से समन्वय/सम्पर्क बनाये रखेंगी। सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यम विभाग के अधिकारियों एवं उद्यमियों के लिये निर्यात सवंर्द्धन, सुगमीकरण एवं प्रक्रिया सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

ऐसी इकाईयां, जो अपने उत्पादन के 75 प्रतिशत से अधिक का निर्यात करती हों, को 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज उपादान (रू. 02 लाख प्रतिवर्ष) उपलब्ध कराया जायेगा। निर्यातक इकाईयों को निर्यात में विशेष योगदान हेतु पुरस्कार एवं सम्मान दिया जायेगा।

## 9 हथकरघा–हस्तशिल्प एवं खादी ग्रामोद्योग

9.1 हथकरघा–हस्तशिल्प एवं खादी ग्रामोद्योग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के परम्परागत व्यवसाय है और साथ ही बड़ी संख्या में राज्य के निवासियों को रोजगार एवं आजीविका प्रदान करते है। बुनकर एवं शिल्पकार अधिकांशतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक समुदाय एवं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्ध रखते है। इन क्षेत्रों का उत्थान एवं विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

9.2 खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्थान के लिए उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यदायी एजेंसी है। बोर्ड की रोजगारपरक गतिविधियों को और अधिक विस्तारित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा बोर्ड की व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजनान्तर्गत परियोजना लागत सीमा रू. 02 लाख से बढ़ाकर रू. 05 लाख कर दी गई है। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 02 अक्टूबर से 108 कार्यदिवस तक खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट के प्राविधान के माध्यम से खादी उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन हेतु प्रतिबद्ध है।

9.3 खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन (KVIC) की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य के खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जायेगा।

9.4 राज्य में हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद (यूएचएचडीसी) का गठन किया गया है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास सम्बन्धी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यूएचएचडीसी को आवश्यक बजटीय सहायता दी जायेगी। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में राज्य के अंश के रूप में योगदान कर यथोचित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

9.5 भारत सरकार की व्यापक हथकरघा विकास योजनाओं (सीएचडीएस) जो कि हथकरघा क्षेत्र में कौशल उन्नयन, ऑन–लूम क्रियाकलापों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, सहवर्ती उपकरण, विपणन प्रोत्साहन एवं धागे की उपलब्धता आदि प्रदान करती है, को भी राज्य सरकार सक्रिय रूप से क्रियान्वित करेगी। राज्य सरकार द्वारा एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत नौ (9) हथकरघा क्लस्टरों का संचालन राज्य में किया जा रहा है। इन क्लस्टरों के सतत् विकास के लिये आवश्यक सहायता यूएचएचडीसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

9.6 प्रदेश में जसपुर में टैक्सटाईल पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। इस पार्क में आधुनिक टैक्सटाईल उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस पार्क के साथ राज्य के परम्परागत हथकरघा क्लस्टरों का लिंकेज स्थापित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में दो मिनी टैक्सटाईल पार्क स्थापित किये जायेंगे, जो स्थानीय ऊन, रेशम एवं प्राकृतिक रेशों पर आधारित यार्न एवं मूल्यवर्द्धित उत्पादों का निर्माण करेंगे। इन्हें तकनीकी, डिजाइन एवं फिनिसिंग में मुख्य टैक्सटाईल पार्क की सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

9.7 उत्तराखण्ड में उत्तम गुणवत्तायुक्त ऊन, रेशम की विभिन्न किस्में तथा अन्य प्राकृतिक रेशों का प्रचुर उत्पादन होता है। इनसे खादी एवं हथकरघा बुनकरों को गुणवत्तायुक्त कच्चा माल प्राप्त होता है। ऊन सहित अन्य प्राकृतिक रेशों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार हेतु राष्ट्रीय ऊन बोर्ड, राष्ट्रीय रेशम बोर्ड, राज्य ऊन एवं शीप विकास बोर्ड, राज्य बांस एवं रेशा विकास परिषद तथा अन्य संस्थाओं से बेहतर समन्वय स्थापित किया जायेगा।

9.8 उत्तराखण्ड राज्य में प्राकृतिक रेशों जैसे रिंगाल, रामबांस एवं मोम, तांबा, काष्ठ आदि पर आधारित हस्तशिल्प उत्पादों के साथ ही ऐंपण जैसी अद्वितीय लोक कला की असीम विरासत है। ये हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य में कई परिवारों को आजीविका एवं आर्थिक निर्भरता प्रदान करते है।

9.9 यूएचएचडीसी द्वारा अपने उत्पादों हेतु "**हिमाद्रि**" को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किया गया है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को "**हिमाद्रि**" एम्पोरियम के माध्यम से विपणन प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।

इन हिमाद्रि एम्पोरियम को मुख्य पर्यटक स्थलों पर स्थापित किया जायेगा। साथ ही देश के महत्वपूर्ण शहरों जहॉ उत्तराखण्ड भवन/उत्तराखण्ड निवास स्थित है, में भी हिमाद्रि एम्पोरियम को स्थापित किया जायेगा। राज्य सरकार प्रदेश के हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी एवं स्थानीय उत्पादों को पर्यटन से जोड़कर प्रोत्साहित करने की दिशा में भी कार्य करेगी।

9.10 परम्परागत शिल्पों के पुनर्जीवीकरण, विकास एवं उन्नयन हेतु **"हरिराम टम्टा शिल्प उन्नयन संस्थान"** की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस संस्थान को परम्परागत शिल्पों के उन्नयन के लिये एक उत्कृष्ठ स्तर के संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा। परम्परागत वाद्य यंत्रों, यथा: ढोल–दमाऊ, दैनिक उपयोग की विशिष्ट वस्तुओं, धार्मिक आयोजनों आदि के अवसर पर उपयोग होने वाले प्रतीक चिन्हों, कृषि यंत्रों आदि के निर्माण की विधियों का संरक्षण एवं पुनर्जीवीकरण आदि पर भी कार्य किया जायेगा।

9.11 परम्परागत शिल्पों एवं स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित **"सोविनियर विकास"** को प्राथमिकता दी जायेगी। एन.आई.डी. एवं यूएचएचडीसी की संयुक्त परियोजना के अन्तर्गत शिल्प आधारित सोविनियर विकास योजना में डिजाईन नवीनीकरण की शुरूआत की गई है। इसके प्रथम चरण में चार पारम्परिक शिल्पों पर कार्य किया गया। यह परियोजना अन्य शिल्पों, नए डिजाईनों एवं उत्पादों के विकास को सम्मिलित करते हुए अगले 3 से 5 वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित की जायेगी।

9.12 यूएचएचडीसी द्वारा प्रदर्शनी एवं अन्य विपणन कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। साथ ही यूएचएचडीसी द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त हथकरघा, हस्तशिल्प एवं खादी उत्पादों के निर्यात के प्रोत्साहन हेतु भी प्रयास किये जायेंगे। राज्य के बुनकर एवं शिल्पियों को मेले एवं प्रदर्शनियों में प्रतिभाग के माध्यम से मार्केटिंग एक्सपोजर को बढ़ाये जाने के लिए उपयुक्त योजनाओं में संशोधन किया जायेगा। खादी एवं यूएचएचडीसी के विपणन अवसंरचना के संयुक्त उपयोग से हिमाद्री व खादी एम्पोरियम स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे। **उपयुक्त स्थानों पर अरबन हाट की स्थापना की जायेगी।**

9.13 यूएचएचडीसी द्वारा शिल्प उत्पादक ग्रामों को **"शिल्प ग्राम"** के रूप में विकसित करने का कार्य किया जायेगा। ये शिल्प ग्राम पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर पर्यटन मानचित्र पर अंकित किए जायेंगे।

9.14 राज्य के विशिष्ट शिल्प एवं उत्पाद को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अन्तर्गत भौगोलिक संकेत (Geographical Indications) के रूप में पंजीकृत किये जायेंगे। विभिन्न शिल्पों का अभिलेखीकरण भी किया जायेगा।

9.15 यूएचएचडीसी के अन्तर्गत मास्टर क्राफ्टस्मैन/मास्टर बुनकर के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयाजित किये जायेंगे। साथ ही बुनकर एवं शिल्पियों की गणना भी की जायेगी, जिससे कि उनका विवरण एकीकृत कर यूएचएचडीसी द्वारा पहचान पत्र जारी किये जा सके। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सीमाओं की उपलब्धता के आधार पर पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पियों के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक एवं स्कूल बैग उपलब्ध कराये जायेंगे। यूएचएचडीसी द्वारा राज्य के अन्तर्गत एवं अन्य राज्यों में आयोजित होने वाले विभिन्न मेले एवं प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने हेतु बुनकर एवं शिल्पियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता इत्यादि के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जायेगी।

9.16 यूएचएचडीसी द्वारा विभिन्न टैक्सटाईल, डिजाइन, हस्तशिल्प, हथकरघा एवं इसी प्रकार के अन्य व्यवसायिक एवं विशिष्ट संस्थानों, जैसे: एनआईडी, आईआईसीटी, एनआईएफटी आदि के छात्रों के लिये इंटर्नशिप/प्रोजैक्ट/अध्ययन के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किये जायेंगे।

————————X————————X————————

Dus.

## 10 नीति क्रियान्वयन हेतु नियंत्रण/निगरानी तंत्र

10.1 **प्राधिकृत समिति (Empowered Committee):**– राज्य सरकार की एक इम्पावर्ड कमेटी का गठन मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य इत्यादि होंगे:–

| | |
|---|---|
| मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड। | अध्यक्ष |
| मा. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, उत्तराखण्ड। | उपाध्यक्ष |
| मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| अपर मुख्य सचिव/अवसंरचना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| उपमहाप्रबन्धक, सिडबी, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, आरबीआई। | सदस्य |
| महाप्रबन्धक, एसबीआई/संयोजक एसएलबीसी, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| राज्य स्तरीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संघो से अधिकतम 03 सदस्य | सदस्य |
| प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम | सदस्य सचिव |

10.2 **समन्वय एवं अनुश्रवण समिति:**– राज्य स्तर पर समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय एवं अनुश्रवण समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा:–

| | |
|---|---|
| मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन। | अध्यक्ष |
| अपर मुख्य सचिव/अवसंरचना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन। | उपाध्यक्ष |
| प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| आयुक्त वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल, उत्तराखण्ड। | सदस्य |

Due

| | |
|---|---|
| प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| उपमहाप्रबन्धक, सिडबी | सदस्य |
| क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, आरबीआई, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| महाप्रबन्धक, एसबीआई/संयोजक एसएलबीसी, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| राज्य स्तरीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संघो से अधिकतम 05 सदस्य | सदस्य |
| प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम | सदस्य सचिव |
| निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड। | सदस्य |

10.3 प्राधिकृत समिति की बैठक 6 माह में एक बार एवं समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक त्रैमासिक आयोजित की जायेगी। उपरोक्त समितियॉ निम्न कार्यों हेतु प्राधिकृत होगी:-

- वर्तमान नीति के क्रियान्वयन की निरन्तर निगरानी एवं नियंत्रण।
- सरकारी विभागों व उपक्रमों द्वारा क्रय एवं मूल्य वरीयता नीति के अनुपालन की निगरानी/नियंत्रण।
  - i. एकल खिड़की व्यवस्था तथा जिला उद्योग मित्र की कार्यप्रणाली।
  - ii. सूक्ष्म, लघु उद्यम सुकरता परिषद की कार्यपद्धति।
  - iii. स्व-प्रमाणन प्रक्रिया के सरलीकरण की प्रगति।
- किसी संगठन के प्रमुख/सचिव को तत्सम्बन्धित प्रकरण/विषय पर होने वाले विचार-विमर्श हेतु निर्धारित की गई इम्पावर्ड कमेटी की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है। इम्पावर्ड कमेटी प्रक्रिया सरलीकरण एवं उक्त नीति के प्राविधानों के प्रभाव एवं प्रयोजन के मूल्यांकन के उद्देश्य से तृपक्षीय विशेषज्ञ संगठन की सहायता ले सकती है।
- इम्पावर्ड कमेटी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से सम्बन्धित प्रकरणों जैसे वित्तीय श्रोतो की मांग एवं पूर्ति, अवसंरचनात्मक उत्पाद, केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजना व अन्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से सम्बन्धित वित्त एवं विकास सम्बन्धी मुद्दों पर आरबीआई, इम्पावर्ड कमेटी/एसएलबीसी द्वारा दिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।
  - i. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की वित्तीय मॉग एवं आपूर्ति की समीक्षा-सकल एवं पर कैपीटा आधार पर।
  - ii. निजी एजेंसियो को औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के लिये ऋण प्रवाह।
  - iii. केडिट गारण्टी फण्ड ट्रस्ट योजना में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का आच्छादन।
  - iv. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित लाभार्थी उन्मुख एवं कलस्टर विकास योजना।
  - v. हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र में वित्तीय सहायता योजनायें।

  प्रकरण में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या (1)/VII-2-15/146–एम0एस0एम0ई0/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3 निजी सचिव–मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
4 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5 अपर मुख्य सचिव एवं स्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
6 अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तरखण्ड शासन।
8 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9 निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10 प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11 मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
12 मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
13 सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
14 समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्तराखण्ड।
15 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Dhirendra

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– /2015/XXVII(9)/यू0ओ0–05/स्टाम्प/2015
देहरादूनः दिनांकः 29 अक्टूबर, 2015

**अधिसूचना/आदेश**

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उद्यम स्थापना हेतु राज्य सरकार/निजी उद्यमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों तथा औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों से बाहर भू–स्वामियों से उनकी भूमि लीज पर लेने अथवा कय करने पर, पट्टा विलेख/विकय विलेख के निबन्धन में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्योग नीति, 2015 में वर्णित प्राविधानानुसार छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि उक्त छूट उद्यम स्थापना से इतर उपयोग में लागू नही होगी।

US(MSME)

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

**संख्या– 205(1)/2015/XXVII(9)/यू0ओ0–05/स्टाम्प/2015 तद्दिनांकित।**

**प्रतिलिपिः**

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, लघु उद्योग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल को सूचनार्थ पेषित।
4. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 100 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में उपलब्ध करा दें।
8. गार्ड फाईल।

2/11/15
(राजेन्द्र कुमार)
उप सचिव
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

826/प्र.स.
दि. 2/11/2015

A.S.(MSME)

29/10/15
(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
उत्तराखण्ड शासन।

3/11/2015

आज्ञा से,

(बी0डी0 बेलवाल)
अनु सचिव।

C:\Users\hp\Desktop\Indra\2015\Rules Draft..doc

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः 544/VII-2-16/146-एम0एस0एम0ई0/2013
देहरादून, दिनॉकः 22 मार्च, 2016

## कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण राज्य के समेकित विकास हेतु औद्योगिक गतिविधियों को और आकर्षक बनाते हुए बढ़ावा देने तथा वर्षवार रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-184/VII-2/15-146-एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 31.01.2015 द्वारा प्राख्यापित उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 लागू है।

उक्त नीति के संबंध में समय-समय पर प्राप्त सुझावों एवं मांगों के दृष्टिगत तथा प्रदेश में पूर्व से स्थापित इकाईयों को भी एम0एस0एम0ई0 नीति 2015 का लाभ प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीति में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**अध्याय-2: प्रस्तावना का अन्तिम पैरा**

| वर्तमान प्राविधान | प्रस्तावित संशोधन |
|---|---|
| यह नीति 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी। एमएसएमई नीति के प्रभावी होने/अधिसूचना जारी होने की तिथि से पात्र औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा। | यह नीति दिनांक 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी। एमएसएमई नीति के प्रभावी होने/अधिसूचना जारी होने की तिथि के पश्चात् स्थापित होने वाले चिन्हित नये विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने/सेवा प्रदान करने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले घटित हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।<br>**(ii) नीति के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व स्थापित विद्यमान औद्योगिक चिन्हित विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को भी, जो अपने विद्यमान उद्यम की प्लान्ट एवं मशीनरी/उत्पादन क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की अभिवृद्धि विस्तारीकरण, विविधिकरण या अभिनवीकरण के रूप में करता हो, नीति में प्रदत्त निवेश प्रोत्साहन सहायता तथा ब्याज उपादान की सुविधा उपलब्ध होगी।**<br>**(iii) रूग्ण घोषित सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के पुनर्जीवीकरण हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन प्रस्ताव पर विस्तारीकरण, विविधिकरण तथा अभिनवीकरण करने वाले चिन्हित विनिर्माणक उद्यमों को नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।** |
| | विशिष्ट प्राविधानः<br>श्रेणी ए तथा बी के क्षेत्रों में यह आदेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अंतर्गत उद्योग |

| | |
|---|---|
| | स्थापना का कार्य पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ करने वाली इकाईयों को उक्त तिथि से अधिकतम 10 वर्षों अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2025 के पश्चात् भी नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के लाभ प्राप्त होंगे। |

## वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता के लिये चिन्हित क्षेत्रों का वर्गीकरण

विभिन्न सहायताओं एवं अनुदानों को मात्राकृत करने के लिये प्रदेश को निम्नानुसार 05 श्रेणियों में विभाजित किया गया है:–

| वर्तमान प्राविधान | | प्रस्तावित संशोधन | |
|---|---|---|---|
| श्रेणी | सम्मिलित/आच्छादित क्षेत्र | श्रेणी | सम्मिलित/आच्छादित क्षेत्र |
| श्रेणी–ए | जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र। | श्रेणी–ए | जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र। |
| श्रेणी–बी | • जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल व अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू–भाग।<br>• जनपद देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड।<br>• जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड। | **श्रेणी–बी** | • **जनपद अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू–भाग।**<br>• **जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल के मात्र पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी+ श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर)।**<br>• **जनपद नैनीताल तथा जनपद देहरादून के मात्र पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी+ व सी श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर)।** |
| | | **श्रेणी–बी+** | • **जनपद पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखण्ड के कोटद्वार, सिगड्डी और इनसे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र तथा टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखण्ड के ढ़ालवाला, मुनी–की–रेती, तपोवन तथा उससे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र।**<br>• **जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र।**<br>• **जनपद देहरादून के कालसी विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र।** |
| श्रेणी–सी | • जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतलसे 650 मी. से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।<br>• जनपद नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकासखण्ड। | श्रेणी–सी | • जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतलसे 650 मी. से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।<br>• जनपद नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकासखण्ड में आने वाले क्षेत्र। |
| श्रेणी–डी | जनपद हरिद्वार एवं उद्यमसिंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष क्षेत्र (श्रेणी–बी व सी में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर)। | श्रेणी–डी | जनपद हरिद्वार एवं उद्यमसिंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष समस्त मैदानी क्षेत्र (**श्रेणी–बी, बी+ व सी में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर**)। |
| नोटः | (अ) श्रेणी–सी एवं डी के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में केवल विनिर्माणक गतिविधियों (Manufacturing Activities) पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।<br>(ब) श्रेणी–बी+ के अन्तर्गत आच्छादित मैदानी क्षेत्रों का विस्तृत निर्धारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों की संस्तुति के आधार पर पृथक से किया जायेगा। | | |

## वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिये चिन्हित सेवा/विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम

वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान सहायता के लिए निम्नांकित अतिरिक्त गतिविधियां/क्रियाकलाप श्रेणी ए एवं बी के क्षेत्रों हेतु पात्र/अर्ह (eligible) गतिविधियों में सम्मिलित होंगी:–

- लाल श्रेणी (Red Category) के निम्नलिखित उद्योग भी वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान सहायता के लिए पात्र गतिविधियों में सम्मिलित होंगे:
  - **Milk processing and dairy products, Butter & Cheese.**
  - **Non alcoholic/alcoholic beverage (Soft Drink) & bottling of alcoholic/non-alcoholic products.**
  - **Fermentation/Bottling of Foriegn Liquir such as: Wine, Whisky, Scotch, Beer, Vintnery, Winery and Bruwery.**
  - **Vegetable oils including solvent extraction and refinery/ hydrogenated oils.**
- पर्यटन गतिविधि के रूप में संचालित हाउस बोट/फ्लोटिंग हट्स परियोजना।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति –2006 में उद्योग का दर्जा प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें, प्रौद्योगिकी युक्त अर्बन व रूरल काल सेन्टर।
- प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियों में कुक्कुट पालन उद्योग के लिए बॉयलर/लेयर प्रजनन परिक्षेत्र की न्यूनतम सीमा 1000 पैरेन्ट/चूजे की होगी।
- पंचगव्य दव्य।
- स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम जैसे: नैचुरल फाइबर प्रोसेसिंग प्लांट, फिनिशिंग व डाइंग प्लांट तथा ऐसे अन्य उद्यम जो पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों (कच्चा माल) का उपयोग उत्पाद के प्रसंस्करण/परिष्करण में करते हैं।
- सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना।
- रेता, बालू, बजरी तथा प्लाई ऐश को कच्चेमाल के रूप में उपयोग कर नये उत्पाद का निर्माण करने वाले उद्योग।

स्पष्टीकरण:–

- मूल नीति में चिन्हित विभिन्न गतिविधियां भी श्रेणीवार अनुमन्यता हेतु पात्र गतिविधियों में सम्मिलित रहेंगी तथा मूल नीति में श्रेणी–बी के लिये विभिन्न लाभों हेतु चिन्हित गतिविधियां नवसृजित श्रेणी–बी+ के क्षेत्रों के लिये यथावत लागू रहेंगी।
- विकास आयुक्त कार्यालय भारत सरकार के आदेश संख्या:–**5(6)/2013-MSME POL** दिनांक 05.11.2014 द्वारा परम्परागत तथा गैर परम्परागत तरीको से ऊर्जा उत्पादन को विनिर्माणक गतिविधियों में सम्मिलित होने संबंधी स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है। अतः विद्युत वितरण के प्रयोजन से राज्य में परम्परागत तथा गैर परम्परागत तरीकों से ऊर्जा उत्पादन संबंधी गतिविधियों तथा इनके लिये उपकरण/मशीन बनाने वाली इकाईयों को भी, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि सम्मिलित हैं, एम0एस0एम0ई0 नीति के अंतर्गत श्रेणीवार अनुमन्य सुविधायें प्राप्त होंगी।
- श्रेणी–सी एवं डी में मात्र विनिर्माणक गतिविधियों को नीति के अंतर्गत श्रेणीवार विभिन्न अनुमन्य लाभ प्राप्त होंगे।

## अध्याय–4: वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूट

### प्रस्तर–4.1: निवेश प्रोत्साहन सहायता

| वर्तमान व्यवस्था | | | प्रस्तावित संशोधन | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | श्रेणी | प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा | क्र.सं. | श्रेणी | प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा |
| 2. | श्रेणी–बी | 35 प्रतिशत (अधिकतम ₹35 लाख) | 2. | श्रेणी–बी<br>**श्रेणी–बी+** | 35 प्रतिशत (अधिकतम ₹35 लाख) |

स्पष्टीकरण:

| वर्तमान व्यवस्था | प्रस्तावित संशोधन |
|---|---|
| * भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान योजना में अनुमन्य उपादान की सुविधा के अतिरिक्त श्रेणी–ए, बी एवं सी के जनपदों/क्षेत्रों में राज्य निवेश प्रोत्साहन सहायता भी अनुमन्य होगी, किन्तु इन योजनाओं में वित्तीय प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा/मात्रा उद्यम में किये गये कुल स्थिर पूंजी निवेश का 60 प्रतिशत अधिकतम ₹60 लाख से अधिक नहीं होगी।<br>* श्रेणी–डी में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित पूंजी निवेश उपादान योजना/निवेश प्रोत्साहन योजना में से केवल एक ही श्रोत से उपादान सहायता अनुमन्य होगी। | • भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान योजना में अनुमन्य उपादान की सुविधा के अतिरिक्त श्रेणी–ए, बी, बी+ एवं सी के जनपदों/क्षेत्रों में राज्य निवेश प्रोत्साहन सहायता भी अनुमन्य होगी, किन्तु इन योजनाओं में वित्तीय प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा/मात्रा उद्यम में किये गये कुल स्थिर पूंजी निवेश का 60 प्रतिशत अधिकतम ₹60 लाख से अधिक नहीं होगी।<br>• श्रेणी–डी में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित पूंजी निवेश उपादान योजना/ निवेश प्रोत्साहन योजना में से केवल एक ही श्रोत से उपादान सहायता अनुमन्य होगी।<br>• **स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम जैसेः नैचुरल फाइबर प्रोसेसिंग प्लांट, फिनिशिंग व डाइंग प्लांट तथा ऐसे अन्य उद्यम जो पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों (कच्चा माल) का उपयोग उत्पाद के प्रसंस्करण/परिष्करण में करते हैं, को वर्गीकृत चिन्हित क्षेत्रों/जनपदों में निवेश प्रोत्साहन सहायता की अनुमन्य मात्रा/सीमा के अतिरिक्त 10 प्रतिशत के अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता दी जायेगी।** |

### प्रस्तर–4.2: ब्याज उपादान

| वर्तमान व्यवस्था | | | प्रस्तावित संशोधन | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | श्रेणी | अनुदान की मात्रा/सीमा | क्र.सं. | श्रेणी | अनुदान की मात्रा/सीमा |
| 2. | श्रेणी–बी | 08 प्रतिशत (अधिकतम ₹06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) | 2. | श्रेणी–बी<br>**श्रेणी–बी+** | 08 प्रतिशत (अधिकतम ₹06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) |

प्रस्तर–4.3: मूल्यवर्धित कर की प्रतिपूर्ति

| वर्तमान व्यवस्था | | | प्रस्तावित संशोधन | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रेणी–ए | प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 90 प्रतिशत | श्रेणी–ए | प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 90 प्रतिशत |
| 2. | श्रेणी–बी | प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत | श्रेणी–बी<br><br>**श्रेणी–बी+** | प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत<br><br>**प्रथम 5 वर्ष के लिए शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत।** |

**स्पष्टीकरण:** श्रेणी–ए व श्रेणी–बी के जनपदों में विनिर्माणक औद्योगिक एककों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तु पर देय मूल्यवर्धित कर की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त प्रान्तीय खरीद पर देय इनपुट टैक्स पर भी प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी।

प्रस्तर–4.4: स्टाम्प शुल्क में छूट

| वर्तमान व्यवस्था | | | प्रस्तावित संशोधन | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | श्रेणी | छूट की मात्रा/सीमा | क्र.सं. | श्रेणी | छूट की मात्रा/सीमा |
| 2. | श्रेणी–बी | शत प्रतिशत | 2. | श्रेणी–बी<br>**श्रेणी–बी+** | शत प्रतिशत |

प्रस्तर–4.5: विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति

| वर्तमान व्यवस्था | | प्रस्तावित संशोधन | |
|---|---|---|---|
| संयोजित विद्युत भार | श्रेणी–"बी"<br>प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा | संयोजित विद्युत भार | श्रेणी–"बी" व "बी+"<br>प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा |
| 100 केवीए | प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 60 प्रतिशत | 100 केवीए | प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 60 प्रतिशत |
| 100 केवीए से ऊपर | 50 प्रतिशत | 100 केवीए से ऊपर | 50 प्रतिशत |

प्रस्तर–4.6: विशेष राज्य परिवहन उपादान

| वर्तमान व्यवस्था | | | प्रस्तावित संशोधन | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रेणी–ए | वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत, अधिकतम ₹7 लाख /प्रतिवर्ष/ इकाई | श्रेणी–ए | **वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।** |
| 2. | श्रेणी–बी | वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख /प्रतिवर्ष/इकाई | श्रेणी–बी | **वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।** |
| | | | **श्रेणी–बी+** | **वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अधिकतम ₹5.00 लाख प्रतिवर्ष/प्रतिइकाई अथवा** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | कच्चामाल/ तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो। |

प्रस्तर–4.7: नवीन प्राविधान

श्रेणी–ए व बी में वर्गीकृत क्षेत्रों/जनपदों में निम्नलिखित विनिर्माणक/सेवा गतिविधियों पर उनके सम्मुख उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अतिरिक्त रूप से दी जायेगी:–

| क्र. सं. | उत्पाद/क्रियाकलाप | प्रतिपूर्ति सहायता की मद व मात्रा |
|---|---|---|
| 1. | सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिक समर्थित सेवाएं (IT/ITES) | इन्टरनेट व्यय पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता। |
| 2. | कृषि एवं फलाधारित उद्योग (पहाड़ी दालों, फलों तथा साग–सब्जियों की सफाइ, छटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग एवं संरक्षण) | मण्डी शुल्क में शत–प्रतिशत छूट। |
| 3. | ➢ Non alcoholic/alcoholic beverage (Soft Drink) & bottling of alcoholic/non-alcoholic products.<br>➢ Fermentation/Bottling of Foriegn Liquir such as: Wine, Whisky, Scotch, Beer, Fruit and Grain Based Winery & Vintnery, Bruwery. | ● राज्य आबकारी नीति के तहत कुल देय State Excise Duty, Additional Excise Duty, Bottling Fees, अनुज्ञा शुल्क और अन्य देय शुल्कों में 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति सहायता। |

स्पष्टीकरण:

| वर्तमान व्यवस्था | प्रस्तावित संशोधन |
|---|---|
| विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में उक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त स्वीकृत अन्य सभी प्रोत्साहन सुविधायें श्रेणी–ए एवं बी के जनपदों/क्षेत्रों में यथावत् लागू रहेंगी। अध्याय–4 से 9 तक वर्णित प्राविधान पूरे प्रदेश में लागू होंगे। | उक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में स्वीकृत अन्य सभी प्रोत्साहन सुविधायें श्रेणी–ए, बी एवं बी+ के जनपदों/क्षेत्रों में यथावत् लागू रहेंगी। अध्याय–4 से 9 तक वर्णित प्राविधान पूरे प्रदेश में लागू होंगे।<br>विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 (यथासंशोधित–2011) में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन के अन्तर्गत प्रस्तर–5(1)(VII) तथा 9(2) को कमशः निम्नानुसार पढ़ा व समझा जायेगा:<br>(i) भूमि संसाधन विकास प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं पर होने वाले व्यय की 50 प्रतिशत धनराशि अधिकतम ₹50 लाख अनुदान के रूप में औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों को अनुदान स्वरूप दी जायेगी।<br>(ii) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय अनुमोदित संस्थाओं से गुणवत्ता चिन्हांकन, आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण, आई. एस.आई. चिन्हांकन, बी.आई.एस., ट्रेड मार्क, कापी राइट पंजीकरण आदि प्राप्त करने के लिए किये गये व्यय के 75 प्रतिशत अधिकतम ₹1 लाख की धनराशि प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में दी जायेगी। |

| वर्तमान व्यवस्था | प्रस्तावित संशोधन |
|---|---|
| **प्रस्तर–5.2** भूमि की दरों का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की संस्तुति के आधार पर भूमि की वास्तविक कीमत, अवस्थापना सुविधाओं के विकास की लागत, प्रचलित भूमि की दरों को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्र विशेष में औद्योगिक विकास की स्थिति को देखते हुये किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत् अधिकारी द्वारा ऐसे सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को भी चिन्हित किया जायेगा, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन किया जा सकता है। भूमि आवंटन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय उद्योग मित्र परिषद् द्वारा किया जायेगा। | भूमि की दरों का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की संस्तुति के आधार पर भूमि की वास्तविक कीमत, अवस्थापना सुविधाओं के विकास की लागत, प्रचलित भूमि की दरों को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्र विशेष में औद्योगिक विकास की स्थिति को देखते हुये **निदेशक उद्योग द्वारा किया जायेगा।** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत् अधिकारी द्वारा ऐसे सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को भी चिन्हित किया जायेगा, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन किया जा सकता है। **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में भूमि का आवंटन उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली–2015 के नियम–9(ख) में गठित जिला प्राधिकृत समिति द्वारा किया जायेगा।**<br><br>**"उद्यमी द्वारा क्रय की गई भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया सुगम एवं सरल बनायी जायेगी। अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों/मास्टर प्लान में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी।"** |

उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय। नीति में शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 544(1)/ VII-2–16/146–एम0एस0एम0ई0/2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3 निजी सचिव–मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
4 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5 अपर मुख्य सचिव एवं स्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
6 अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9 निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10 प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11 मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
12 मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
13 सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
14 समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्तराखण्ड।
15 एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः — /VII-2-18/123–उद्योग/2008
देहरादूनः दिनांकः // मई, 2018

## कार्यालय ज्ञाप

चूंकि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/सात–II–08/08, दिनांक 29 फरवरी, 2008 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने तथा राज्य के समावेशी विकास के उद्देश्य से दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए "**विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008** प्रख्यापित की गयी थी;

और चूंकि, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–184/सात–2–15/146–एमएसएमई/2013, दिनांक 31 जनवरी, 2015 द्वारा "**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015**' प्रख्यापित की गयी थी;

और चूंकि, "**विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008** द्वारा उससे आच्छादित उद्योगों को उनके स्थापना से निर्धारित अवधि के लिए प्रोत्साहन की सुविधा अनुमन्य करायी गयी थी;

और चूंकि, **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015** द्वारा भी उससे आच्छादित उद्योगों को उनके स्थापना से निर्धारित अवधि के लिए प्रोत्साहन की सुविधा अनुमन्य करायी गयी थी;

और चूंकि, वर्तमान में मूल्य वर्धित कर के स्थान पर माल औरसेवा कर के प्राविधान प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप इन नीतियों में सामयिक परिवर्तन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है;

अतः अब, राज्यपाल लोकहित में माल/सेवाओं पर अधिरोपित कर (एस0जी0एस0टी0) के भाग की प्रतिपूर्ति हेतु "**उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यम माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति दिशा निर्देश, 2018** जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

### उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यम माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति दिशा निर्देश, 2018

**संक्षिप्त नाम**

1. इन दिशा निर्देशों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यम माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति दिशा निर्देश, 2018 है।

**दिशा निर्देश का उद्देश्य**

2. दिशा निर्देश का उद्देश्य विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 (यथा संशोधित 2011) में वर्गीकृत श्रेणी–'ए' व 'बी' में स्थापित होने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यमों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015 के अन्तर्गत वर्गीकृत श्रेणी–'ए', 'बी' एवं बी+ में स्थापित होने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यमों को, बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाये रखते हुए ईकाई के उत्पाद में होने वाली लागत वृद्धि को कम करना है, जिससे वर्गीकृत क्षेत्र में स्थापित होने वाली उक्त ईकाइयों को उत्पाद की बिक्री में सहायता मिल सके तथा उक्त ईकाइयां सतत् रूप से क्रियाशील रह सके।

दिशा निर्देश की अवधि

3. उक्त दिशा निर्देश एम0एस0एम0ई0 नीति, 2015 के जारी होने के दिनांक 31 जनवरी, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक अथवा शासन के कोई अन्यथा आदेश पारित करने की दशा में वर्णित दिनांक तक स्थापित औद्योगिक ईकाइयों को उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले घटित हो, माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रतिपूर्ति का लाभ अनुमन्य होगा।

परिभाषायें

4. (1) **माल और सेवा कर (जी.एस.टी.)** से "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" (अधिनियम संख्या 6, वर्ष 2017) की धारा 9 के अधीन उदग्रहीत माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) अभिप्रेत है;

(2) **नए अभिज्ञात विनिर्माणक/उत्पादक (Manufacturing) उद्यम** से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जो उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन में या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोगिता रखता हो, के मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया में लगे हुए हों या संयंत्र और मशीनरी का नियोजन करने वाले, उद्यमों की दशा में, जैसे:–

**(एक)** एक **सूक्ष्म उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपये से अधिक न हो।

**(दो)** एक **लघु उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो, या

**(तीन)** एक **मध्यम उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रूपए से अधिक हो परन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक न हो।

(3) **सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से तात्पर्य** ऐसे उद्यम से है, जिसे 'सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो तथा जिसकी स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व 2 (EM Part-I & II) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार में आधार ज्ञापन फाइल कर **"उद्योग आधार ज्ञापन"** की अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

स्वीकार्य माल और सेवा कर (जी.एस.टी.)

5. पात्र औद्योगिक ईकाइयों/उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पाद की बिक्री पर भुगतान किये गये माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) की प्रतिपूर्ति, निम्नानुसार दावे की अर्हता के निर्धारण होने पर, अनुमन्यता के अनुसार की जायेगी।

(1) विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति,2008 (यथा संशोधित–2011) में वर्गीकृत श्रेणी–'ए' व 'बी' में स्थापित होने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम

विनिर्माणक (Manufacturing) उद्यमों को माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) की प्रतिपूर्ति नीति के अनुसार शेष समय के लिए **श्रेणी–ए** के जिलों/क्षेत्रों में कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 90 प्रतिशत तथा **श्रेणी– बी के जिलों में** कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 75 प्रतिशत की दर से देय होगी।

(2) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम नीति, 2015 के अन्तर्गत माल और सेवा कर (जी. एस.टी.) की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा **श्रेणी–ए** के जिलों/क्षेत्रों के लिए 5 वर्ष तक कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का शत्–प्रतिशत तथा तत्पश्चात् शेष समय तक 90 प्रतिशत और **श्रेणी–बी तथा बी+** के जिलों/क्षेत्रों में 5 वर्ष तक कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का शत्–प्रतिशत तथा तत्पश्चात् शेष समय तक 75 प्रतिशत की दर से देय होगी।

पात्रता

6. **माल और सेवा कर (जी.एस.टी.)** प्रतिपूर्ति हेतु पात्रता निम्नवत होगी:–

(1) ईकाई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति नियमावली,2015 अथवा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति,2008 (यथा संशोधित,2011) में चिन्हित विनिर्माण उद्यम की श्रेणी में आती हो।

(2) ईकाई विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति,2008 (यथा संशोधित, 2011) अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति,2015 के अन्तर्गत उल्लिखित श्रेणी/क्षेत्रों में स्थापित हो।

(3) ईकाई द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत चिन्हित उत्पाद विनिर्माण हेतु उद्यमिता ज्ञापन भाग–1 व भाग–2 (EM Part- I & II) प्राप्त किया गया हो अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार में आधार ज्ञापन (UAM) फाइल कर उद्योग आधार ज्ञापन की पावती प्राप्त की गई हो।

(4) ईकाई द्वारा माल और सेवा कर विभाग से चिन्हित उत्पाद विनिर्माण हेतु पंजीकरण प्राप्त किया गया हो।

(5) ईकाई विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति,2008 (यथा संशोधित 2011) अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति,2015 के अन्य मानकों को पूर्ण करती हो।

माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के प्रतिपूर्ति दावों की स्वीकृति/संवितरण की प्रक्रिया

7. माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु राज्य का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से सम्बन्धित निदेशालय, 'नोडल अभिकरण' के रूप में कार्य करेगा तथा शासन से इस रूप में प्राप्त बजट का आवंटन/संवितरण, प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों की अर्हता पर निर्णय लेने के लिये गठित राज्य/जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति के अनुमोदनोपरान्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से सम्बन्धित ईकाई को किया जायेगा।

पांच लाख रूपये या कम प्रतिपूर्ति के दावों की स्वीकृति जिला प्राधिकृत समिति के द्वारा प्रत्येक तीन माह में की जायेगी तथा इससे अधिक की स्वीकृति राज्य प्राधिकृत समिति के द्वारा की जायेगी।

माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

8. पात्र विनिर्माणक ईकाइयों द्वारा सर्वप्रथम माल और सेवा कर अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप मासिक/त्रैमासिक विवरणी दाखिल की जायेगी तथा विवरणी के अनुसार माल और सेवा कर (GST) अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा कोई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात् कुल कर दायित्व को देखते हुए ईकाई को इन दिशा निर्देशों के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल और सेवा कर (जी.एस.टी. ) के अन्तर्गत दिए गए, ऐसे एस.जी.एस.टी. के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी टू सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो। इस हेतु दावा निर्धारित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित अभिलेखों सहित सम्बन्धित जिलें के जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा:–

(1) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम,2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की स्थापना के पश्चात् सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त उद्यमिता ज्ञापन भाग–1 व भाग–2 (EM Part- I & II) अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार में उद्योग आधार ज्ञापन की पावती की सत्यापित प्रति।

(2) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यवसायिक उत्पादन प्रमाण–पत्र।

(3) ईकाई द्वारा निर्धारित माल और सेवा कर भुगतान की, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रमाणित प्रति अथवा ऑन–लाईन भुगतान की प्रति, जिसमें यह स्पष्ट हो कि भुगतान राज्य कर विभाग,उत्तराखण्ड के हित में किया गया हो।

(4) ईकाई के मासिक/त्रैमासिक रिटर्न (Return) की राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा सत्यापित प्रति।

(5) ईकाई के वार्षिक कर प्रतिफल (Annual Tax Return) की सत्यापित प्रति,

प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर।

(6) राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा ईकाई के पक्ष में जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति (प्रथम दावे के साथ)।

(7) अन्य वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र।

स्पष्टीकरण:

(एक) माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रत्येक तीन माह की समाप्ति के पश्चात अगले 06 माह के अन्दर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे किसी भी दावे को निर्धारित अवधि के उपरान्त प्रस्तुत किये जाने की दशा में दावे पर विचार नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में कालातीत दावों के सन्दर्भ में गुण–दोष के आधार पर राज्य/जिला प्राधिकृत समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(दो) यद्यपि प्रतिपूर्ति सहायता हेतु दावे त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत/स्वीकृत किये जायेंगे, किन्तु प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक कर प्रतिफल (Annual Tax Return) की कर विभाग में दाखिल वार्षिक विवरणी की सत्यापित प्रति उस तीन माह के दावे के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी।

**प्रतिपूर्ति की वसूली**

9. निम्नलिखित परिस्थितियों में ईकाई को भुगतान किये गये माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति की वसूली 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भू–राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी:–

(1) यदि ईकाई द्वारा तथ्यों को गलत ढ़ंग से प्रस्तुत किया गया हो अथवा किसी तथ्य को छिपाया गया हो।

(2) ईकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्यम चालू न रखा हो। विशेष अथवा आपदा सम्बन्धी कारणों पर निर्णय के लिए महानिदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) प्रतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में कोई जानकारी अथवा सूचना उपलब्ध न करायी हो अथवा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति,2008 (यथा संशोधित, 2011) अथवा राज्य की एम.एस.एम.ई. नीति/क्रियान्वयन आदेश, 2015/संगत नियमों द्वारा निर्धारित मानकों/दिशा–निर्देशों का पालन न किया गया हो।

स्पष्टीकरण

10. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015 (यथा संशोधित,2016) के अंतर्गत चिन्हित पात्र ऐसे विनिर्माणक उद्यम, जिनके द्वारा उत्पादित माल/वस्तु जिन पर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (GST) लागू नहीं होता और जिन पर राज्य के अन्दर उत्पादित माल/वस्तु के विक्रय में पूर्व की भाँति मूल्यवर्धित कर (VAT) अधिरोपित किया जा रहा है, को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति तथा इस विषय पर दिशा निर्देशों/प्रक्रिया, जैसा कि विहित किया जाय, के अनुसार ही निर्धारित सीमा/मात्रा में पात्रता के आधार पर मूल्यवर्धित कर की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0सं0–413/XXVII(08)/2018 दिनांक 10 मई, 2018 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 895 /VII-2-18/123-उद्योग/2008, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल।
5. महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उत्तराखण्ड।
6. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। उद्योग प्रभार
8. समस्त महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

कृ- समस्त जिलाधिकारी
को प्रेषित करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या /313 /VII-2-18/146–एम0एस0एम0ई0/2013
देहरादूनः दिनांकः 06 जुलाई, 2018

## कार्यालय–ज्ञाप

राज्यपाल, राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण राज्य के समेकित विकास हेतु औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा वर्षवार रोजगार सृजन हेतु **"उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (समय–समय पर यथासंशोधित)"** में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से **उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम संशोधन नीति–2018** निम्नलिखित नीति बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015 के प्रस्तर 2.4 में स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान प्राविधान के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये प्राविधान रख दिये जायेंगे अर्थात्:–

| | स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|---|
| | वर्तमान प्राविधान | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान |
| प्रस्तर 2 का संशोधन | नोटः<br>(अ) श्रेणी–सी एवं डी के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में केवल विनिर्माणक गतिविधियों (Manufacturing Activities) पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।<br>(ब) श्रेणी–बी+ के अन्तर्गत आच्छादित मैदानी क्षेत्रों का विस्तृत निर्धारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों की संस्तुति के आधार पर पृथक से किया जायेगा। | नोटः<br>**(अ) श्रेणी–सी एवं डी में चिन्हित सभी सेवा गतिविधियों पर नीति में सेवा क्षेत्र को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों यथाः पूंजीगत उपादान, ब्याज उपादान तथा स्टॉम्प शुल्क में छूट का लाभ क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित सीमा/मात्रा में अनुमन्य होगा, किन्तु श्रेणी–सी व डी के क्षेत्रों में नगर निगम/महानगर पालिका/नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली पर्यटन गतिविधियों में देय वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।**<br>(ब) श्रेणी–बी+ के अन्तर्गत आच्छादित मैदानी क्षेत्रों का विस्तृत निर्धारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों की संस्तुति के आधार पर पृथक रूप से किया जायेगा। |
| | **वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिये चिन्हित सेवा/विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम**<br>वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान सहायता के लिये निम्नांकित गतिविधियाँ/क्रियाकलाप पात्र/अर्ह (Eligible) होंगे:– | **वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिये चिन्हित सेवा/विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम**<br>वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान सहायता के लिये निम्नांकित गतिविधियाँ/क्रियाकलाप पात्र/अर्ह (Eligible) होंगे:– |
| | **श्रेणी–ए एवं बी** | **श्रेणी–ए एवं बी** |
| | • हरित तथा नारंगी श्रेणी के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्यम।<br>• विशेष औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत अधिसूचित थ्रस्ट सेक्टर उद्योग/गतिविधियाँ।<br>• प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियाँ, यथाः कुक्कुट पालन तथा पर्यटन क्रियाकलाप। | • हरित तथा नारंगी श्रेणी के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्यम।<br>• विशेष औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत अधिसूचित थ्रस्ट सेक्टर उद्योग/गतिविधियाँ।<br>• प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियाँ, यथाः कुक्कुट पालन तथा पर्यटन क्रियाकलाप। |

| | |
|---|---|
| • पूर्वोत्तर राज्यों के लिये घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज में सम्मिलित सेवा क्षेत्र व अन्य क्षेत्र की निम्न गतिविधियाँ:–<br>➢ होटल, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल, रोप–वे।<br>➢ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधओं युक्त नर्सिंग होम।<br>➢ व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, यथा: होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड फूड क्राफ्ट, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, नर्सिंग एवं पैरामैडिकल, नागरिक विमानन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाईनिंग तथा औद्योगिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण।<br>• जैव प्रौद्योगिकी।<br>• संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी, कोल्ड स्टोरेज आदि गतिविधियाँ।<br>• पेट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदाम। | • पूर्वोत्तर राज्यों के लिये घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज में सम्मिलित सेवा क्षेत्र व अन्य क्षेत्र की निम्न गतिविधियाँ:–<br>➢ होटल एवं रिसॉर्ट, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल : बंजी जम्पिंग, पावर बोट्स, कयाकिंग, जॉय राइडिंग इन चॉपर्स, सी–प्लेन, हॉट एयर बैलून, स्किल गेम पार्क, पैराग्लाइडिंग, वाटर स्कीइंग/सर्फिंग, टैन्ट फॉर कैम्पिंग, राफ्टिंग, केबल कार, स्नो–स्कीइंग, कैनोइंग, पैरासेलिंग एवं रोप–वेज।<br>➢ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं युक्त नर्सिंग होम (ऐलोपैथिक, आर्युवेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी तथा प्रमाणिक अन्य परम्परागत तरीके से रोग निरपेक्ष की सुविधाओं युक्त), स्वास्थ्य देखभाल सेवायें (पुरानी एवं गम्भीर स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार/निदान, स्वास्थ्य लाभ हेतु आहार–पोषण, फिजियोथेरेपी, डायग्नोस्टिक /पैथोलॉजी सुविधाओं युक्त)।<br>➢ आयुष एवं वैलनेस: स्पा एवं कायाकल्प रिसॉर्ट (Spa & Rejunevation Resort),आर्युवेद, योगा, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एवं स्पॉ।<br>➢ व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, यथा: होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड फूड क्राफ्ट, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, नर्सिंग एवं पैरामैडिकल, नागरिक विमानन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाईनिंग तथा औद्योगिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण।<br>• जैव प्रौद्योगिकी।<br>• संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी, कोल्ड स्टोरेज आदि गतिविधियाँ।<br>• पेट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदाम, ऑटोमोबाइल मरम्मत एवं सेवा केन्द्र। |
| वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान सहायता के लिये निम्नांकित अतिरिक्त गतिविधियाँ/क्रियाकलाप श्रेणी ए एवं बी के क्षेत्रों हेतु पात्र/अर्ह (eligible) गतिविधियों में सम्मिलित होंगी:–<br>• लाल श्रेणी (Red Category) के निम्नलिखित उद्योग भी वित्तीय–प्रोत्साहन/अनुदान सहायता के लिये पात्र गतिविधियों में सम्मिलित होंगे:<br>➢ Milk Processing and dairy products, Butter | वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान सहायता के लिये निम्नांकित अतिरिक्त गतिविधियाँ/क्रियाकलाप श्रेणी ए एवं बी के क्षेत्रों हेतु पात्र/अर्ह (eligible) गतिविधियों में सम्मिलित होंगी:–<br>• लाल श्रेणी (Red Category) के निम्नलिखित उद्योग भी वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान सहायता के लिये पात्र गतिविधियों में सम्मिलित होंगे:<br>➢ Milk Processing and dairy products, Butter |

| | |
|---|---|
| & Cheese.<br>➢ Non-alcoholic/alcoholic beverage (Soft Drink) & bottling of alcoholic/non-alcoholic products.<br>➢ Fermentation/Bottling of Foreign Liquor such as Wine, Whisky, Scotch, Beer, Vintnery, Winery and Bruwery.<br>➢ Vegetable oils including solvent extraction and refinery/hydrogenated oils.<br>• पर्यटन गतिविधि के रूप में संचालित हाउस बोट/फ्लोटिंग हट्स परियोजना।<br>• सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति–2006 में उद्योग का दर्जा प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें, प्रौद्योगिकी युक्त अर्बन व रूरल कॉल सेन्टर।<br>• प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियों में कुक्कुट पालन उद्योग के लिये बॉयलर/लेयर प्रजनन परिक्षेत्र की न्यूनतम सीमा 1000 पैरेन्ट/चूजे की होगी।<br>• पंचगव्य दव्य।<br>• स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम जैसेः नैचुरल फाइबर प्रोसेसिंग प्लांट, फिनिशिंग व डाइंग प्लांट तथा ऐसे अन्य उद्यम जो पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों (कच्चा माल) का उपयोग उत्पाद के प्रसंस्करण/परिष्करण में करते हैं।<br>• सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना।<br>• रेता, बालू, बजरी तथा प्लाई ऐश को कच्चेमाल के रूप में उपयोग कर नये उत्पाद का निर्माण करने वाले उद्योग।<br><br>स्पष्टीकरणः–<br>• मूल नीति में चिन्हित विभिन्न गतिविधियां भी श्रेणीवार अनुमन्यता हेतु पात्र गतिविधियों में सम्मिलित रहेंगी तथा मूल नीति में श्रेणी–बी के लिये विभिन्न लाभों हेतु चिन्हित गतिविधियां नवसृजित श्रेणी–बी+ के क्षेत्रों के लिये यथावत लागू रहेंगी।<br>• विकास आयुक्त कार्यालय भारत सरकार के | & Cheese.<br>➢ Non-alcoholic/alcoholic beverage (Soft Drink) & bottling of alcoholic/non-alcoholic products.<br>➢ Fermentation/Bottling of Foreign Liquor such as Wine, Whisky, Scotch, Beer, Vintnery, Winery and Bruwery.<br>➢ Vegetable oils including solvent extraction and refinery/hydrogenated oils.<br>• पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित/अधिसूचित पर्यटन गतिविधियां/क्रियाकलापः<br>➢ हाउस बोट/फ्लोटिंग हट्स परियोजना।<br>➢ पर्यटन इकाई के रूप में उद्योग का दर्जा प्राप्त पर्यटन गतिविधियां/क्रियाकलाप।<br>• सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति–2006 में उद्योग का दर्जा प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें, प्रौद्योगिकी युक्त अर्बन व रूरल कॉल सेन्टर, सॉफ्टवेयर डवलपमेंट।<br>• प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियों में कुक्कुट पालन उद्योग के लिये बॉयलर/लेयर प्रजनन परिक्षेत्र की न्यूनतम सीमा 1000 पैरेन्ट/चूजे की होगी।<br>• पंचगव्य दव्य।<br>• स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम जैसेः नैचुरल फाइबर प्रोसेसिंग प्लांट, फिनिशिंग व डाइंग प्लांट तथा ऐसे अन्य उद्यम जो पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों (कच्चा माल) का उपयोग उत्पाद के प्रसंस्करण/परिष्करण में करते हैं।<br>• सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना।<br>• रेता, बालू, बजरी तथा प्लाई ऐश को कच्चेमाल के रूप में उपयोग कर नये उत्पाद का निर्माण करने वाले उद्योग।<br>• गैर परम्परागत तरीके से ऊर्जा उत्पादन।<br><br>स्पष्टीकरणः–<br>• मूल नीति में चिन्हित विभिन्न गतिविधियां भी श्रेणीवार अनुमन्यता हेतु पात्र गतिविधियों में सम्मिलित रहेंगी तथा मूल नीति में श्रेणी–बी के लिये विभिन्न लाभों हेतु चिन्हित गतिविधियां नवसृजित श्रेणी–बी+ के क्षेत्रों के लिये यथावत लागू रहेंगी।<br>• विकास आयुक्त कार्यालय भारत सरकार के |

| | |
|---|---|
| आदेश संख्याः–5(6)/2013–MSME POL दिनांक 05.11.2014 द्वारा परम्परागत तथा गैर परम्परागत तरीकों से ऊर्जा उत्पादन को विनिर्माणक गतिविधियों में सम्मिलित होने संबंधी स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है। अतः विद्युत वितरण के प्रयोजन से राज्य में परम्परागत तथा गैर परम्परागत तरीकों से ऊर्जा उत्पादन संबधी गतिविधियों तथा इनके लिये उपकरण/मशीन बनाने वाली इकाईयों को भी, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि सम्मिलित हैं, एम0एस0एम0ई0 नीति के अंतर्गत श्रेणीवार अनुमन्य सुविधायें प्राप्त होंगी।<br>• श्रेणी–सी एवं डी में मात्र विनिर्माणक गतिविधियों को नीति के अंतर्गत श्रेणीवार विभिन्न अनुमन्य लाभ प्राप्त होंगे। | आदेश संख्याः–5(6)/2013–MSME POL दिनांक 05.11.2014 द्वारा परम्परागत तथा गैर परम्परागत तरीकों से ऊर्जा उत्पादन को विनिर्माणक गतिविधियों में सम्मिलित होने संबंधी स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है। अतः विद्युत वितरण के प्रयोजन से राज्य में परम्परागत तथा गैर परम्परागत तरीकों से ऊर्जा उत्पादन संबधी गतिविधियों तथा इनके लिये उपकरण/मशीन बनाने वाली इकाईयों को भी, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि सम्मिलित हैं, एम0एस0एम0ई0 नीति के अंतर्गत श्रेणीवार अनुमन्य सुविधायें प्राप्त होंगी।<br>• श्रेणी–सी एवं डी में चिन्हित सभी सेवा गतिविधियों पर नीति में सेवा क्षेत्र को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों यथा पूंजीगत उपादान, ब्याज उपादान तथा स्टॉम्प शुल्क में छूट का लाभ क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित सीमा/मात्रा में अनुमन्य होगा, किन्तु श्रेणी–सी व डी के क्षेत्रों में नगर निगम/महानगर पालिका/नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली पर्यटन गतिविधियों में देय वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।<br>• सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन की सम्भावनाओं को देखते हुए पर्यटन को विधिवत उद्योग का स्तर प्रदान किया जा रहा है। पर्यटन विभाग, पर्यटन गतिविधियों/कियाकलापों को राज्य की आवश्यकता तथा वर्तमान परिवेश के अनुरूप इनका चिन्हीकरण कर विधिवत इसकी अधिसूचना जारी करेगा, ताकि उद्योग का स्तर प्राप्त पर्यटन गतिविधियों/कियाकलापों पर औद्योगिक दरों के निर्धारण का प्रकरण पर्यटन विभाग द्वारा विद्युत नियामक आयोग को संदर्भित किया जा सके। |

**प्रस्तर 4 का संशोधन**

2. उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015 के प्रस्तर–4.2, 4.6 एवं 4.7 में स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान प्राविधान के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये प्राविधान रख दिये जायेगें, अर्थात्:

| स्तम्भ–1 | | | स्तम्भ–2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान प्राविधान | | | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान | | |
| 4.2 ब्याज उपादान | | | 4.2 ब्याज उपादान | | |
| क्र.सं. | श्रेणी | अनुदान की मात्रा/सीमा | क्र.सं. | श्रेणी | अनुदान की मात्रा/सीमा |
| 1 | श्रेणी–ए | 10 प्रतिशत | 1 | श्रेणी–ए | 10 प्रतिशत |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (अधिकतम रू. 08 लाख/ प्रतिवर्ष/इकाई) | | | (अधिकतम रू. 08 लाख/ प्रतिवर्ष/इकाई) |
| 2 | श्रेणी–बी बी+ | 08 प्रतिशत (अधिकतम रू. 06 लाख/ प्रतिवर्ष/इकाई) | 2 | श्रेणी–बी बी+ | 08 प्रतिशत (अधिकतम रू. 06 लाख/ प्रतिवर्ष/इकाई) |
| 3 | श्रेणी–सी | 06 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 लाख/ प्रतिवर्ष/इकाई) | 3 | श्रेणी–सी | 06 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 लाख/ प्रतिवर्ष/इकाई) |
| 4 | श्रेणी–डी | शून्य | 4 | श्रेणी–डी | 05 प्रतिशत(अधिकतम रू. 03 लाख प्रतिवर्ष/इकाई) |
| 4.6 विशेष राज्य परिवहन उपादानः– | | | 4.6 विशेष राज्य परिवहन उपादानः– | | |
| क्र.सं0 | श्रेणी | उपादान की मात्रा/सीमा | क्र.सं0 | श्रेणी | उपादान की मात्रा/सीमा |
| 1 | श्रेणी–ए | वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो। | 1 | श्रेणी–ए | वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो। |
| 2 | श्रेणी–बी | वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो। | 2 | श्रेणी–बी | वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अथवा कच्चा माल /तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो। |
| 3 | श्रेणी–बी+ | वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अधिकतम रू0 5.00 लाख प्रतिवर्ष प्रतिइकाई अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इसमें से जो भी कम हो, | 3 | श्रेणी–बी+ | वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अधिकतम रू. 5.00 लाख प्रतिवर्ष/प्रतिइकाई अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो। |
| • मूल्यवर्द्धित कर की प्रतिपूर्ति उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से देय होगी।<br>• रीवर बेड मैटीरियल पर छूट/रियायतों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।<br>• नीति में प्रदत्त छूट/रियायतें श्रेणी–सी तथा डी के जनपदों/क्षेत्रों में अवस्थित होने वाले पर्यटन/सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को अनुमन्य नहीं होंगे। | | | • दिनांक 1 जुलाई, 2017 के पश्चात माल एवं सेवा कर (GST) अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित उद्यमों पर जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा कोई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए योजना के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल एवं सेवा कर के | | |

| | |
|---|---|
| | अन्तर्गत दिये गये ऐसे एस.जी.एस.टी. के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी.टू.सी.) को विक्रय से सम्बन्धित हो। ऐसे विनिर्माणक उद्यमों द्वारा उत्पादित माल/वस्तु, जिन पर जी.एस.टी. लागू नहीं होता और जिन पर राज्य के अन्दर उत्पादित माल/वस्तु के विक्रय में पूर्व की भांति मूल्य वर्धित कर अधिरोपित किया जा रहा है, को एम.एस.एम.ई. नीति तथा तद्विषयक दिशा–निर्देशों में जैसा कि विहित किया गया है, के अनुसार ही निर्धारित सीमा/मात्रा में पात्रता के अनुसार मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति की जायेगी।<br>• रीवर बेड मैटीरियल पर छूट/रियायतों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।<br>• श्रेणी–सी एवं डी में चिन्हित सभी सेवा गतिविधियों पर नीति में सेवा क्षेत्र को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों यथा: पूंजीगत उपादान, ब्याज उपादान तथा स्टॉम्प शुल्क में छूट का लाभ क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित सीमा/मात्रा में अनुमन्य होगा, किन्तु श्रेणी–सी व डी के क्षेत्रों में नगर निगम/महानगर पालिका/नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली पर्यटन गतिविधियों में देय वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। |
| प्रस्तर–4.7: | प्रस्तर–4.7: नवीन प्राविधान |
| श्रेणी–ए व बी में वर्गीकृत क्षेत्रों/जनपदों में निम्नलिखित विनिर्माणक/सेवा गतिविधियों पर उनके सम्मुख उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अतिरिक्त रूप से दी जायेगी:– | श्रेणी–ए, बी, बी+, सी व डी में वर्गीकृत क्षेत्रों/जनपदों में निम्नलिखित विनिर्माणक/सेवा गतिविधियों पर उनके सम्मुख उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अतिरिक्त रूप से दिये जायेंगे:– |

**नये उप प्रस्तर का अन्तःस्थापन**

3. उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015 के प्रस्तर–4 में एक नया उप प्रस्तर–8 निम्नवत अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:

"4.8 पर्यटन गतिविधियों को उद्योग का दर्जा दिये जाने हेतु चिन्हित सीजनल पर्यटन गतिविधियों को न्यूनतम विद्युत अधिभार लिये जाने के संबंध में पृथक रूप से औद्योगिक दरों के निर्धारण का प्रकरण पर्यटन विभाग द्वारा विद्युत नियामक आयोग को संदर्भित किये जाने के संबंध में विधिवत कार्यवाही की जायेगी।"

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1313 / VII-3-18 / 146–एम0एस0एम0ई0 / 2013, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3 निजी सचिव–मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
4 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5 अपर मुख्य सचिव एवं स्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
6 अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9 महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10 प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11 मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
12 मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
13 सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
14 समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्तराखण्ड।
15 एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

**उत्तराखण्ड शासन**
**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग**
**संख्याः — /VII-2-18/146–एम0एस0एम0ई0/2013**
**देहरादूनः दिनॉकः 06 जुलाई, 2018**

## कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों के सृजन की सम्भावनाओं को देखते हुए पर्यटन को विधिवत उद्योग का स्तर तथा राज्य के कर राजस्व में अभिवृद्धि करने के दृष्टिगत सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–184/VII-2/15–146–एम0एस0एम0ई0/2013, दिनांक–31.01.2015, कार्यालय ज्ञाप संख्याः–544/VII-2-16/146–एम0एस0एम0ई0/2013, दिनांक–22.03.2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्याः–848/VII-2-16/146–एम0एस0एम0ई0/2013, दिनांक–22.04.2016 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015"** तथा कार्यालय ज्ञाप संख्याः–1313/**VII-2-18/146**–एम0एस0एम0ई0/**2013** दिनांक 06 जुलाई, 2018 में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का सम्पूर्ण लाभ पर्यटन क्षेत्र के उद्योगों को अनुमन्य होगा।

इसकी अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात पर्यटन उद्योग के रूप में गतिविधियों/कियाकलापों के अभिज्ञापन हेतु पर्यटन विभाग राज्य की आवश्यकताओं तथा वर्तमान परिवेश के अनुरूप गतिविधियां/कियाकलापों का चिन्हीकरण कर विधिवत इसकी अधिसूचना जारी करेगा, ताकि पर्यटन विभाग द्वारा अधिसूचित पर्यटन गतिविधियों/कियाकलापों को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/नीतियों में सेवा क्षेत्र के उद्यमों को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य हो सके।

**(मनीषा पंवार)**
**प्रमुख सचिव।**

संख्याः 1315 /**VII-2-18/146–एम0एस0एम0ई0/2013, तद्दिनांकित।**
**प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2 अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3 निजी सचिव–मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
4 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5 अपर मुख्य सचिव एवं स्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
6 अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
7 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8 प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
9 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10 महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
11 प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
12 मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
13 मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
14 निदेशक, राज्य मुद्रणालय, रूड़की को आगामी संस्करण गजट में प्रकाशनार्थ।
15 समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्तराखण्ड।
16 एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
17 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)**
**उप सचिव।**

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या 2211 /VII-2-18/146–एम0एस0एम0ई0/2013 टी0सी0 3
देहरादूनः दिनांकः 30 नवम्बर, 2018

## कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण राज्य के समेकित विकास हेतु औद्योगिक गतिविधियों को और आकर्षक बनाते हुए बढ़ावा देने तथा वर्षवार रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की अधिसूचना संख्या–2287/VII-2/15/146–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 03.12.2015 द्वारा प्रख्यापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कियान्वयन आदेश–2015 लागू है।

विभिन्न राज्यों द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों के अंतर्गत ब्याज उपादान योजना में सावधि ऋण को ही पात्र माना गया है। उपरोक्त के क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में औद्योगिक गतिविधियों में प्रोत्साहन हेतु अनुमोदित बैंक/वित्त पोषक संस्था से सावधि ऋण प्राप्ति की प्रकिया में सुस्पष्टता हेतु उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ब्याज प्रोत्साहन सहायता योजना–2015 के बिन्दु संख्या–4 में ब्याज उपादान योजना के अंतर्गत निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:–

**बिन्दु 04: पात्रता शीर्षक**

| वर्तमान प्राविधान | प्रस्तावित संशोधन |
|---|---|
| श्रेणी–'ए', 'बी' व 'सी' के जनपदों/क्षेत्रों में नये विनिर्माणक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रेणी–ए, बी में सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को उनके द्वारा प्राप्त किये गये सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी ऋण या सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण दोनों पर ही अनुमोदित बैंक/वित्त पोषक संस्था द्वारा स्वीकृत/वितरित ऋण पर देय ब्याज के विरूद्ध ब्याज प्रोत्साहन सहायता की पात्रता होगी। | श्रेणी–'ए', 'बी' व 'सी' के जनपदों/क्षेत्रों में नये विनिर्माणक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रेणी–ए, बी में सेवा क्षेत्र के चिन्हित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को उनके द्वारा प्राप्त किये गये सावधि ऋण (टर्म लोन) पर अनुमोदित बैंक/वित्त पोषक संस्था द्वारा स्वीकृत/वितरित ऋण पर देय ब्याज के विरूद्ध ब्याज प्रोत्साहन सहायता की पात्रता होगी। |

उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय। नीति में शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2211 / VII-3-18 / 146--एम0एस0एम0ई0 / 2013 टी0सी0 3 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3 निजी सचिव--मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
4 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5 अपर मुख्य सचिव एवं स्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
6 अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9 महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10 प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11 मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
12 मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
13 सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
14 समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्तराखण्ड।
15 एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या 527 /VII-3-19/146–एम0एस0एम0ई0/2013
देहरादूनः दिनांकः 08 मार्च, 2019

## कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 184/VII-2-15/146–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 31जनवरी, 2015 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्याः 544/VII-2-16/146–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं शुद्धि पत्र संख्याः–848/VII-2-16/146–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 22 अप्रैल, 2016, कार्यालय ज्ञाप संख्या 1313/VII-2-18/146–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 06 जुलाई, 2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 2211/VII-2-18/146–एम0एस0एम0ई0/2013 टी0सी0 3 दिनांक 30 नवम्बर, 2018 से प्राख्यापित "**उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015(यथासंशोधित–2016 व 2018)**" में अग्रेत्तर निम्नलिखित संशोधन/नवीन प्राविधान प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

| स्तम्भ–1<br>वर्तमान प्राविधान | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान |
|---|---|
| | |
| प्रस्तर–1: संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ<br>(ख) यह नीति आदेश जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। | प्रस्तर–1: संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ<br>(ख) यह नीति दिनांक 31 जनवरी, 2015 से लागू होकर दिनांक 31 मार्च, 2023 तक प्रवृत्त रहेगी। |
| प्रस्तर–2: प्रस्तावना<br>यह नीति दिनांक 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी। एमएसएमई नीति के प्रभावी होने/अधिसूचना जारी होने की तिथि के पश्चात स्थापित होने वाले चिन्हित नये विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने/सेवा प्रदान करने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले घटित हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा। | प्रस्तर–2: प्रस्तावना<br>यह नीति दिनांक 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व स्थापित होकर उत्पादन में आने वाले चिन्हित नये विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने/सेवा प्रदान करने की तिथि से 31 मार्च, 2025 अथवा मूल नीति में दी गयी अवधि तक, जो भी पहले घटित हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा, किन्तु दिनांक 31 मार्च, 2020 के पश्चात नीति की वैधता अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने वाले सभी उद्यमों को उत्पादन/वाणिज्यिक गतिविधि प्रारम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 05 वर्ष तक नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा। |
| प्रस्तर–2: वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता के लिए चिन्हित क्षेत्रों का वर्गीकरण<br>नोटः (अ) श्रेणी–सी एवं डी में चिन्हित सभी सेवा गतिविधियों पर नीति में सेवा क्षेत्र को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित सीमा/मात्रा में अनुमन्य होगा, किन्तु श्रेणी–सी व डी के क्षेत्रों में नगर निगम/महानगर पालिका/नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित की | प्रस्तर–2: वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता के लिए चिन्हित क्षेत्रों का वर्गीकरण<br>नोटः (अ) श्रेणी सी व डी में नीति में चिन्हित सभी विनिर्माणक तथा सेवा गतिविधियों पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों यथाः राज्य पूंजीगत उपादान सहायता, ब्याज उपादान तथा स्टॉम्प शुल्क में छूट का लाभ क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित सीमा/मात्रा में अनुमन्य होगा, किन्तु श्रेणी–सी व डी के क्षेत्रों में नगर निगम/महानगर पालिका/ नगरपालिका क्षेत्र |

| | |
|---|---|
| जाने वाली पर्यटन गतिविधियों में देय वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। | के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली पर्यटन गतिविधियों में देय वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। |
| <u>प्रस्तर–3: वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए चिन्हित सेवा/विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम</u> | <u>प्रस्तर–3: वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए चिन्हित सेवा/विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम</u> |
| वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान सहायता के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त गतिविधियां/कियाकलाप श्रेणी ए एवं बी के क्षेत्रों हेतु पात्र/अर्ह (eligible) गतिविधियों में सम्मिलित होंगे:–<br>➢ लाल श्रेणी (Red Category) के निम्नलिखित उद्योग भी वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान सहायता के लिये पात्र गतिविधियों में सम्मिलित होंगे:<br>➢ Milk Processing and dairy products, Butter & Cheese.<br>➢ Non-alcoholic/alcoholic beverage (Soft Drink) & bottling of alcoholic/non-alcoholic products.<br>➢ Fermentation/Bottling of Foreign Liquor such as Wine, Whisky, Scotch, Beer, Vintnery, Winery and Bruwery.<br>➢ Vegetable oils including solvent extraction and refinery/hydrogenated oils. | वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान सहायता के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त गतिविधियां/कियाकलाप श्रेणी ए एवं बी के क्षेत्रों हेतु पात्र/अर्ह (eligible) गतिविधियों में सम्मिलित होंगे:–<br>➢ लाल श्रेणी (Red Category) के निम्नलिखित उद्योग भी वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान सहायता के लिये पात्र गतिविधियों में सम्मिलित होंगे:<br>➢ Milk Processing and dairy products, Butter & Cheese.<br>➢ **Manufacturing of Non-alcoholic/alcoholic products alongwith Distillery and Bruwery.**<br>➢ **Manufacturig of Foreign Liquor such as Wine, Whisky, Scotch, Beer, Vintnery, Winery alongwith Distillery and Bruwery.**<br>➢ Vegetable oils including solvent extraction and refinery/hydrogenated oils. |
| <u>स्पष्टीकरण:–</u><br>• मूल नीति में चिन्हित विभिन्न गतिविधियां भी श्रेणीवार अनुमन्यता हेतु पात्र गतिविधियों में सम्मिलित रहेंगी तथा मूल नीति में श्रेणी–बी के लिये विभिन्न लाभों हेतु चिन्हित गतिविधियां नवसृजित श्रेणी–बी+ के क्षेत्रों के लिये यथावत लागू रहेंगी। | <u>स्पष्टीकरण:–</u><br>• मूल नीति में जनपद/क्षेत्रों के वर्गीकरण के अनुसार अर्ह(eligible) चिन्हित विभिन्न गतिविधियां /क्रियाकलाप पात्र गतिविधियों में पूर्ववत सम्मिलित रहेंगी तथा मूल नीति में श्रेणी–बी के लिये प्रदत्त विभिन्न लाभ, यथा: पूंजीगत उपादान, ब्याज उपादान, स्टॉम्प शुल्क में छूट, विद्युत बिल में छूट, एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति, राज्य परिवहन उपादान नववर्गीकृत श्रेणी–बी+ के क्षेत्रों में यथावत मिलते रहेंगे, किन्तु लाल श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित उद्योगों को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 से नवीन प्राविधानों के तहत प्रदत्त अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान सहायता, जैसे: इन्टरनेट व्यय पर प्रतिपूर्ति, मण्डी शुल्क में छूट तथा राज्य आबकारी नीति के तहत देय राज्य आबकारी शुल्क, अतिरिक्त आबकारी शुल्क, बॉटलिंग फीस, अनुज्ञा शुल्क व अन्य शुल्कों में प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ श्रेणी–बी+ में अनुमन्य नहीं होगा। |

| | |
|---|---|
| प्रस्तर–4.1<br>• भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान योजना में अनुगन्य उपादान की सुविधा के अतिरिक्त श्रेणी–ए, बी, बी+ एवं सी के जनपदों/क्षेत्रों में राज्य निवेश प्रोत्साहन सहायता भी अनुमन्य होगी, किन्तु इन योजनाओं में वित्तीय प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा/मात्रा उद्यम में किये गये कुल स्थिर पूंजी निवेश का 60 प्रतिशत अधिकतम रू. 60 लाख से अधिक नहीं होगी।<br>• श्रेणी–डी में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित पूंजी निवेश उपादान योजना/निवेश प्रोत्साहन योजना में से केवल एक ही श्रोत से उपादान सहायता अनुमन्य होगी। | • एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत वर्गीकृत सभी श्रेणी के जनपदों/क्षेत्रों में, भारत सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक विकास स्कीम–2017 अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित एम.एस.एम.ई. नीति–2015 एवं महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन सहायता योजना में प्रदत्त पूंजी निवेश उपादान सहायता में से केवल एक ही श्रोत (source) से उपादान सहायता अनुमन्य होगी।<br>• भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत एक ही घटक के लिए एक ही श्रोत से पूंजीगत उपादान/निवेश प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य होगी। |
| प्रस्तर–4.6 का अन्तिम पैरा<br>➢ श्रेणी–सी एवं डी में चिन्हित सभी सेवा गतिविधियों पर नीति में सेवा क्षेत्र को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित सीमा/मात्रा में अनुमन्य होगा, किन्तु श्रेणी–सी व डी के क्षेत्रों में नगर निगम / महानगर पालिका / नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली पर्यटन गतिविधियों में देय वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। | प्रस्तर–4.6 का अन्तिम पैरा<br>➢ श्रेणी सी व डी में नीति में चिन्हित **सभी विनिर्माणक** तथा सेवा गतिविधियों पर **नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों** यथा: राज्य पूंजीगत उपादान सहायता, ब्याज उपादान तथा स्टॉम्प शुल्क में छूट का लाभ क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित सीमा/मात्रा में अनुमन्य होगा, किन्तु श्रेणी–सी व डी के क्षेत्रों में नगर निगम/महानगर पालिका/नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली पर्यटन गतिविधियों में देय वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। |

**प्रस्तर– 4.7 नवीन प्राविधान**

श्रेणी ए व बी में वर्गीकृत क्षेत्रों/जनपदों में निम्नलिखित विनिर्माणक/सेवा गतिविधियों पर उनके सम्मुख उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अतिरिक्त रूप से दी जायेगी:–

| क्र. सं. | उत्पाद/क्रियाकलाप | प्रतिपूर्ति सहायता की मद व मात्रा |
|---|---|---|
| 3 | ➢ Non alcoholic /alcoholic beverage (Soft Drink) & bottling of alcoholic/ non-alcoholic products.<br>➢ Fermentation/Bottling of Foreign Liquor such as: Wine, Whisky, Scotch, Beer, Fruit and Grain Based Winery & Vintnery, Bruwery. | • राज्य आबकारी नीति के तहत कुल देय State Excise Duty, Additional Excise Duty, Bottling Fees, अनुज्ञां शुल्क और अन्य देय शुल्कों में 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति सहायता। |

**प्रस्तर– 4.7 (अ) नवीन प्राविधान**

श्रेणी ए व बी में वर्गीकृत क्षेत्रों/जनपदों में निम्नलिखित विनिर्माणक गतिविधियों पर उनके सम्मुख उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अतिरिक्त रूप से दी जायेगी:–

| क्र. सं. | उत्पाद/क्रियाकलाप | प्रतिपूर्ति सहायता की मद व मात्रा |
|---|---|---|
| 3 | ➢ **Manufacturing of Non-alcoholic /alcoholic products alongwith Distillery and Bruwery.**<br>➢ **Manufacturig of Foreign Liquor such as Wine, Whisky, Scotch, Beer, Vintnery, Winery alongwith Distillery and Bruwery.** | • राज्य आबकारी नीति के तहत कुल देय State Excise Duty, Additional Excise Duty, Bottling Fees, अनुज्ञां शुल्क और अन्य देय शुल्कों में 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति सहायता। |

| | |
|---|---|
| | स्पष्टीकरण: जिन इकाईयों ने नीति में संशोधन सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप जारी होने से पूर्व एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत पंजीकरण प्राप्त कर लिया हो तथा एकल खिड़की व्यवस्था के तहत **bottling of alcoholic/ non-alcoholic products** एवं **Fermentation/Bottling of Foreign Liquor such as: Wine, Whisky, Scotch, Beer, Fruit and Grain Based Winery & Vintnery, Bruwery** की स्थापना के लिए भूमि क्रय की अनुमति तथा धारा–143 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश प्राप्त कर सभी सम्बन्धित विभागों से वांछित अनुज्ञा/अनापत्ति तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति पत्र **(Consent to Establish)** प्राप्त कर लिया हो और उद्यम स्थापना हेतु सभी प्रभावी कदम उठा लिये हों, को अर्हता के आधार पर कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्राविधानानुसार राज्य आबकारी शुल्क, अतिरिक्त आबकारी शुल्क, बॉटलिंग फीस एवं अन्य शुल्कों में प्रदत्त छूट/प्रतिपूर्ति सहायता तथा नीति में प्रदत्त अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ दिनांक 31 मार्च, 2025 तक यथावत मिलता रहेगा, बशर्ते कि यह इकाई दिनांक 31 मार्च, 2020 से पहले अपना वाणिज्यिक उत्पादन अनिवार्य रूप से प्रारम्भ कर देती है। |
| – – | प्रस्तर 4.7 (अ) के पश्चात जोड़ा गया नया प्राविधान प्रस्तर 4.7 (ब) :–इमर्जिंग एस0एम0ई0 इकाईयों हेतु पूंजी जुटाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की योजना:<br>लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु पूंजी जुटाना एक समस्या रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(SEBI)** द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यमों को पूंजी जुटाने हेतु नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पृथक से लिस्टिंग का प्राविधान किया गया है, जिसके द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यम विनिमय के माध्यम से पूंजी जुटा सकते हैं। यह प्लेटफार्म उचित प्रशासन मानकों के साथ विश्वसनीय और तेजी से बढ़ते व्यवसायों को पूंजी जुटाने का अवसर भी प्रदान करता है।<br>लघु एवं मध्यम उद्यमों को पूंजी जुटाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए किये गये व्यय का 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 2.5 लाख (रू. दो लाख पचास हजार मात्र) की एक मुश्त प्रतिपूर्ति सहायता, इक्विटी की सफलतापूर्वक उत्थापन **(raising)** के उपरान्त देय होगी। |

नवीन प्राविधानः–4.8:– उक्त के अतिरिक्त "उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथासंशोधित–2016 व 2018)" में नया प्राविधान 4.8 निम्नानुसार लागू होगाः–

(1) एम0एस0एम0ई0 नीति के अंतर्गत लाभान्वित सभी इकाईयॉ यह सुनिश्चित करेगी कि उनके उद्यम में 70 प्रतिशत रोजगार राज्य के व्यक्तियों को उपलब्ध हो। उक्त हेतु वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृत करते समय संबंधित उद्यम से सेवायोजन के विवरण के संबंध में शपथ पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 70 प्रतिशत सेवायोजन के सत्यापन हेतु संबंधित उद्यम का निरीक्षण/सत्यापन भी वित्तीय प्रोत्साहन संवितरण से पूर्व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2) एम0एस0एम0ई0 नीति के अंतर्गत नवीन प्राविधानों के अंतर्गत Non-alcoholic /alcoholic beverage तथा Fermentation/Bottling of foreign liquor उत्पादों पर राज्य आबकारी नीति के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहनों यथाः आबकारी शुल्क, बॉटलिंग फीस, अनुज्ञा शुल्क एवं देय शुल्कों की प्रतिपूर्ति सहायता की सीमा/मात्रा/अनुमन्यता एवं प्रकिया के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा यथा प्रकिया वित्त विभाग तथा आबकारी विभाग के परामर्श/सहमति प्राप्त करने के उपरांत विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 527(1)/VII-3-19/146–एम0एस0एम0ई0/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल।
5. महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि गजट में प्रकाशित कर 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराये।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः 2511 /VII-3-19/146–एम0एस0एम0ई0/2013
देहरादूनः दिनांकः 10 दिसम्बर, 2019

## कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत सगन्ध फसलों के व्यवसायिक कृषिकरण की व्यापक सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों के द्वारा उत्पादित विभिन्न सगन्ध प्रजातियों/सगन्ध पौध/जड़ी–बूटी पर आधारित सूक्ष्म व लघु उद्यमों के क्लस्टर के माध्यम से स्थापना, सगन्ध पौध कृषकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराकर उनकी आय में अभिवृद्धि तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (यथासंशोधित–2016, 2018 व 2019) में वर्गीकृत श्रेणी बी, बी+, सी व डी में चिन्हित अरोमा पार्क के अन्तर्गत स्थापित होने वाले नये अरोमा उद्यमों को एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत वर्गीकृत श्रेणी–ए में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों, यथाः निवेश प्रोत्साहन सहायता, ब्याज उपादान, एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति तथा स्टाम्प शुल्क में छूट की निर्धारित सीमा एवं मात्रा के अनुरूप प्रोत्साहन अनुमन्य किये जाने हेतु नीति के अध्याय–4 के प्रस्तर–4.7 के पश्चात् निम्नवत् एक नया प्रस्तर–4.8 जोड़े जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

प्रस्तर 4.8 :

4.8.1 श्रेणी– बी, बी+, सी व डी में वर्गीकृत क्षेत्रों में निर्दिष्ट (designated) सिडकुल/उद्योग विभाग द्वारा विकसित अरोमा पार्क में स्थापित होने वाले सगन्ध पौध प्रजातियों तथा जड़ी बूटी आधारित इकाईयों के लिए निवेश प्रोत्साहन सहायता, ब्याज उपादान, एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति तथा स्टाम्प शुल्क में छूट की मात्रा/सीमा एम0एस0एम0ई0 नीति में वर्गीकृत श्रेणी–ए के अनुरूप होगी तथा ऐसे पार्क में एक ही प्रकार के नये उद्योगों की स्थापना पर वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा। अरोमा पार्क में स्थापित होने वाली नयी इकाई को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगाः–

1. पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन अथवा पुनर्गठन से इसका निर्माण न हुआ हो।
2. पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाले संयंत्र या मशीनरी के किसी नई इकाई में हस्तांतरण से इसका निर्माण न हुआ हो।
3. यह अन्यत्र से विस्थापित नहीं की गई हों और /अथवा यह पहले से मौजूद इकाई नहीं होनी चाहिए जिसे नया नाम एवं स्टाइल दिया गया हो।
4. उत्पाद विशेष के लिए चिन्हित (Designated) पार्क में उद्योग की स्थापना की गयी हो।
5. उत्पाद विशेष के विनिर्माण/प्रंसस्करण के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित कच्चा माल, यथाः सगन्ध पौध/प्रजातियों/जड़ी–बूटियाँ आदि राज्य के भीतर से अधिप्राप्त किया गया हो।

4.8.2 श्रेणी बी, बी+, सी व डी में निर्दिष्ट (designated) सिडकुल/उद्योग विभाग द्वारा विकसित अरोमा पार्क में स्थापित किये जाने वाले निदर्शी (illustrative) अरोमा क्रियाकलापों/गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

- सुगंधित उपज से आवश्यक तेलों का आसवन और निष्कर्षण।
- सुगंध रसायनों का विखंडन।

- खुशबू और स्वाद निर्माण (सम्मिश्रण)।
- धूप और अगरबत्ती निर्माण।
- सुगंधित और पाक जड़ी बूटियों को सूखाना और पैकेजिंग।
- इत्र और डियोडोरेंट विनिर्माण।
- विभिन्न सुगंध उत्पादों की डिजाइनिंग और पैकेजिंग।
- स्वाद और मिश्रित चाय।
- सुगंध मोमबत्तियाँ / विसारक / हस्तनिर्मित साबुन।
- कॉस्मेस्यूटिकल्स।
- अरोमा थेरेपी उत्पाद।

उक्त उत्पादों पर आधारित Designated अरोमा पार्क सिडकुल/उद्योग विभाग द्वारा विकसित किया जायेगा।

4.8.3 निर्दिष्ट पार्क में स्थापित होने वाले चिन्हित नये उद्योगों को निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ स्पष्टीकरण शीर्ष के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा:–

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता: उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत (अधिकतम रू0 40 लाख)।
2. ब्याज उपादान: उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष तक उद्यम के कार्यशाला भवन निर्माण तथा प्लांट व मशीनरी क्रय करने हेतु लिये गये सावधि ऋण पर देय ब्याज का 10 प्रतिशत, अधिकतम रू. 08 लाख/प्रतिवर्ष।
3. एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति: उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष तक कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी.टू.सी.) को विक्रय किया गया हो, का शत्–प्रतिशत।
4. स्टाम्प शुल्क में छूट: उद्यम स्थापना हेतु भूमि के विक्रय पत्र विलेख/लीज–डीड के निबन्धन (Registry) में देय स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्ण छूट।

स्पष्टीकरण:

(1) Stamp शुल्क में दी गयी छूट, यदि भविष्य में लाभान्वित उद्योग अपना उत्पाद परिवर्तित (Product Change) करती है, तो वह इकाई से वसूल किया जायेगा।

(2) यह छूट अधिसूचित (Designated) अरोमा पार्क में ही उपलब्ध होगी।

5. उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में उक्त संशोधन निर्गत होने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड अरोमा पार्क नीति–2018 में प्रदत्त सहायता, यथा: ब्याज प्रोत्साहन सहायता, स्टाम्प शुल्क में छूट एवं एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति समाप्त समझी जायेगी।

6. उक्त नीति के लाभ शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर उत्पादन प्रारम्भ करने वाली इकाईयों को ही अनुमन्य होगा।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 251 / VII-3-19 / 146–एम0एस0एम0ई0 / 2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3 निजी सचिव–मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
4 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5 अपर मुख्य सचिव एवं स्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
6 अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9 महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10 प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11 मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
12 मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
13 सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
14 समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्तराखण्ड।
15 एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

संख्या / VII-3-20 / 146–एम0एस0एम0ई0 / 2013 टी.सी. 03

देहरादून, दिनांक 28 सितम्बर, 2020

## कार्यालय–ज्ञाप

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन हेतु प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथासंशोधित–2016, 2018 व 2019) तथा उसमें प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए **शासन की अधिसूचना दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 से प्रख्यापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश–2015 में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–का.आ.1702(अ) दिनांक 01 जून, 2020** द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा परिवर्तन के अनुरूप उक्त नीति व क्रियान्वयन आदेश के परिभाषा शीर्षक में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति तथा क्रियान्वयन आदेश–2015 में परिभाषा शीर्षक में स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये प्राविधान रख दिये जायेंगे अर्थात्:–

| स्तम्भ–1 | | | स्तम्भ–2 | |
|---|---|---|---|---|
| वर्तमान प्राविधान | | | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान | |
| II | विनिर्माणक / उत्पादक उद्यमः– | | (क) | सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पांच करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है। |
| | (क) | एक **सूक्ष्म उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपये से अधिक न हो। | | |
| | (ख) | एक **लघु उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो, या | (ख) | लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में दस करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है। |
| | (ग) | एक **मध्यम उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रूपए से अधिक हो परन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक न हो। | (ग) | मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में पचास करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार दो सौ पचास करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है। |
| III | सेवा प्रदाता उद्यमः– | | | |
| | (क) | एक ऐसे **सूक्ष्म उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रूपये से अधिक न हो, | | |
| | (ख) | एक ऐसे **लघु उद्यम** के रूप में जहां | | |

34 नि. उ. (D)

निदेशक उद्योग

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | उपकरण में विनिधान दस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु दो करोड़ रूपये से अधिक न हो, या | | |
| | (ग) | एक ऐसे **मध्यम उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दो करोड़ रूपये से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो। | | |

3. उक्त संशोधित नीति की नयी परिभाषा 01 जुलाई, 2020 से लागू मानी जायेगी।

4. उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एवं क्रियान्वयन आदेश–2015 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। नीति में शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 1621 (1)/VII-3-20/146–एम0एस0एम0ई0/2013 टी.सी. 03, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. मुख्य निवेश आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्तराखण्ड को उद्योग निदेशालय के माध्यम से।
11. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद–हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वे कार्यालय–ज्ञाप को साधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
14. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।